भारत सरकार,
कर्मचारी चयन आयोग,
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,
ब्लॉक स० 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

Government of India,
Staff Selection Commission
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions,
Block No. 12, CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110003.

विज्ञप्ति

कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, और मात्रा सर्वेक्षण एवं संविदा) परीक्षा, 2019

ऑनलाइन आवेदनों का प्रस्तुतीकरण: 13.08.2019 से 12.09.2019 तक
आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि: 12.09.2019 (17:00 बजे)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि: 14.09.2019 (17:00 बजे)
ऑफलाइन चालान को तैयार करने की अंतिम तिथि: 14.09.2019 (17:00 बजे सायं)
चालान के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि (बैंक के कार्य समय के दौरान): 16.09.2019
कंप्यूटर आधारित परीक्षा (प्रश्नपत्र-I) की तिथि: सूचना बाद में जारी की जाएगी
प्रश्नपत्र-II की तिथि (परम्परागत): सूचना बाद में जारी की जाएगी

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो और महिला अभयर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।"

फा.सं 3/3/2019- नी. एवं यो.II: कर्मचारी चयन आयोग, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के लिए कनिष्ठ अभियंता (सिविल, यांत्रिक, वैद्युत, और मात्रा सर्वेक्षण एवं संविदा) की भर्ती हेतु एक खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा। ये पद सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 (35400 - 112400/-रूपए) में समूह **'ख'**(अराजपत्रित) पद हैं।

2. **पदों के ब्यौरा:** निम्नलिखित सम्भावित पदों को इस परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा:

क्र.सं.	संगठन	पद
1.	केन्द्रीय जल आयोग	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)
2.	केन्द्रीय जल आयोग	कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक)

3.	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.)	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)
4.	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.)	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत)
5.	सैनिक इंजीनियरी सेवा (एम.ई.एस.)	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)
6.	सैनिक इंजीनियरी सेवा (एम.ई.एस.)	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत एवं यांत्रिक)
7.	फरक्का बांध परियोजना	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)
8.	फरक्का बांध परियोजना	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत)
9.	फरक्का बांध परियोजना	कनिष्ठ अभियंता(यांत्रिक)
10.	सीमा सड़क संगठन	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)
11.	सीमा सड़क संगठन	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत एवं यांत्रिक)
12.	केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)
13.	केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र	कनिष्ठ अभियंता(वैद्युत)
14.	केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र	कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक)
15.	गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौ-सेना)	कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक)
16.	गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौ-सेना)	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत)
17.	राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन(एनटीआरओ)	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)
18.	राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ)	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत)
19.	राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन(एनटीआरओ)	कनिष्ठ अभियंता(यांत्रिक)

3. रिक्तियां:

रिक्तियों का निर्धारण बाद में किया जाएगा। रिक्तियों की अद्यतन स्थिति समय-समय पर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी (**https://ssc.nic.in > candidate's corner>Tentative Vacancy)**

4. आरक्षण एवं दिव्यांगजनों के लिए पदों की उपयुक्तता :

4.1 अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा)/अन्य पिछड़ा वर्ग(अपिव)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) एवं शारीरिक दिव्यांग इत्यादि श्रेणियों के लिए आरक्षण वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार व मांग कर्ता मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा यथा-निर्धारित और सूचित रिक्तियों के अनुसार होगा।

4.2 कनिष्ठ अभियंता का पद समूह 'ख' पद है अत: भूतपूर्व सैनिक (भू.पू.सै.) श्रेणी के लिए आरक्षण नहीं है। तथापि, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को वर्तमान सरकारी आदेशों के अनुसार आयु में छूट का लाभ अनुमत्य होगा।

4.3 सीमा सड़क संगठन को छोड़कर, ये पद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार चालीस प्रतिशत और अधिक की एक बांह (एबां), एक पैर (एपै), श्रवण दिव्यांग (श्र.दि.) की दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। **ये पद दृष्टि दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए हैं**।

4.4 जैसा कि "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" दिनांक 19.04.2017 से लागू हो चुका है तथा इसमें दिव्यांगता की नई श्रेणियों जैसे ऑटिज्म, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता, मानसिक रूग्णता एवं बहु-दिव्यांगता इत्यादि को आरक्षण के लिए पात्र दिव्यांगताओं की सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार, ऐसी दिव्यांगताओं से पीड़ित अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में

अपनी दिव्यांगताओं का ब्यौरा देते हुए आवेदन कर सकते हैं। तथापि, उनका चयन इन श्रेणियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान और मांगकर्ता मंत्रालयों/विभागों द्वारा रिक्तियों की सूचना देने के अध्यधीन होगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/02/2017-स्था.(आरक्षण) (पैरा 2.2) के तहत यथा-निर्धारित विभिन्न दिव्यांगताओं से पीड़ित अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन प्रपत्र में निम्नलिखित दिव्यांगजन श्रेणियों को चुन सकते हैं :

क्रम संख्या	दिव्यांगता की किस्म	पंजीकरण/आवेदन प्रपत्र में चयनित की जाने वाली दिव्यांगता की श्रेणी
(क)	दृष्टिहीनता एवं अल्प दृष्टि	दृष्टि दिव्यांग
(ख)	बधिर एवं कम सुनने वाला	श्रवण दिव्यांग
(ग)	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित, ठीक किया हुआ कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले से पीड़ित तथा मांसपेशीय दुर्विकास सहित चालन संबंधी दिव्यांगता।	अस्थि दिव्यांग
(घ)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता।	अन्य
(ङ)	बधिर- दृष्टिहीनता सहित (क) से (घ) खंडो के अन्तर्गत पीड़ित व्यक्तियों को साथ-साथ बहु-दिव्यांगताएं	

4.5 सीमा सड़क संगठन में कनिष्ठ अभियंता के पद के लिए शारीरिक मानदंडों**,** शारीरिक क्षमता परीक्षाओं और चिकित्सीय मानकों का ब्यौरा **अनुबंध XV** पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे सीमा सड़क संगठन में कनिष्ठ अभियंता के पद के लिए विकल्प देने से पूर्व सभी अपेक्षित मानकों को पूरा करते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा दी गई योग्यता-सह-वरीयता के अनुसार पदों का एक बार आबंटन होने के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा इन मानकों को पूरा न करने पर पर बाद में इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

4.6 सीमा सड़क संगठन में कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी पात्र हैं।

5. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

5.1 अभ्यर्थी या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आया हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या,यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जांबिया, मालावी,जायरे, इथिओपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।

5.2 बशर्ते कि उपरोक्त (ख), (ग), (घ) तथा (ड.) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका हो।

5.3 ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही दिया जाएगा।

6. 01 अगस्त, 2019 को आयु सीमा:

6.1 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में कनिष्ठ अभियंता के पद के लिए 01.08.2019 को आयु सीमा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**संगठन**	**पद**	**आयु सीमा**
1.	केन्द्रीय जल आयोग	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	32 वर्ष तक
2.	केन्द्रीय जल आयोग	कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक)	32 वर्ष तक
3.	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.)	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	32 वर्ष तक
4.	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.)	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत)	32 वर्ष तक
5.	सैनिक इंजीनियरी सेवा(एम.ई.एस.)	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	30 वर्ष तक
6.	सैनिक इंजीनियरी सेवा(एम.ई.एस.)	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत एवं यांत्रिक)	30 वर्ष तक
7.	फरक्का बांध परियोजना	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	30 वर्ष तक
8.	फरक्का बांध परियोजना	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत)	30 वर्ष तक
9.	फरक्का बांध परियोजना	कनिष्ठ अभियंता(यांत्रिक)	30 वर्ष तक
10.	सीमा सड़क संगठन	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	30 वर्ष तक
11.	सीमा सड़क संगठन	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत एवं यांत्रिक)	30 वर्ष तक
12.	केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	30 वर्ष तक
13.	केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र	कनिष्ठ अभियंता(वैद्युत)	30 वर्ष तक
14.	केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र	कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक)	30 वर्ष तक
15.	गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौ-सेना)	कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक)	30 वर्ष तक
16.	गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौ-सेना)	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत)	30 वर्ष तक
17.	राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन(एनटीआरओ)	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	30 वर्ष तक
18.	राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन(एनटीआरओ)	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत)	30 वर्ष तक
19.	राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन(एनटीआरओ)	कनिष्ठ अभियंता(यांत्रिक)	30 वर्ष तक

6.2 उपरोक्त पैरा 6.1 में यथा-विनिर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा में छूट की स्वीकार्यता निम्नानुसार है:--

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट
1.	अजा/अजजा	05 वर्ष
2.	अ पि व	03 वर्ष
3.	शारीरिक दिव्यांग (शा.दि.)	10 वर्ष
4.	शा दि + अपिव	13 वर्ष
5.	शा दि + अजा / अजजा	15 वर्ष

6.	भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै)	वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
7.	अभ्यर्थी जो साधारणतया 01 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर,1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों।	5 वर्ष
8.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	03 वर्ष
9.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक(अजा/अजजा)	08 वर्ष

6.3 अभ्यर्थी यह नोट कर लें कि उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में भरी गई जन्म तिथि अंतिम मानी जानी जाएगी और जन्मतिथि में परिवर्तन करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान आयु पात्रता के निर्धारण के लिए केवल मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी।

6.4 ऐसे भूतपूर्व सैनिक (भूपूसै) जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर समूह 'ग' और 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे भूपूसै श्रेणी में आरक्षण और शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं।। **तथापि, यदि उसने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014-स्थापना (आरक्षण) में यथा उल्लिखितानुसार सिविल रोजगार में शामिल होने के तुरंत बाद उन विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करने के दिनांक-वार ब्योरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वयं घोषित/वचनबंध किया हो जिसके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल राजगार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आवेदन किया था जैसा कि है, वह अनुवर्ती रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है ।**

6.5 सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

6.6 आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओ के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने कदाचार या अक्षमता के कारण सेवा से बरखास्तगी या सेवामुक्ति को छोड़कर इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो।

अथवा

उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि (अर्थात 12.09.2019) से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि (अर्थात् 12.09.2019) से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर एक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी अवश्य प्राप्त कर लिया हो।

6.7 स्पष्टीकरण: भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है-

(i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रुप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

(क) जो पेंशन अर्जित करने के पश्चात अपने अनुरोध पर अथवा नियोक्ता द्वारा सेवा निवृत या कार्यमुक्त या सेवा मुक्त किया गया हो:

अथवा

(ख) जिसे ऐसी सेवा जिसे सैनिक-सेवा कहा जा सके, से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो;

अथवा

(ग) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरुप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; या

(ii) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक, नामतः निरंतर मूर्त्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी शामिल हैं;

अथवा

(iii) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सहित सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अशक्त होने के कारण सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त किए गए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पैंशन दी गई है;

अथवा

(iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे;

अथवा

(v) प्रादेशिक सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता;

अथवा

(vi) भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

6.8 **भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट अनुमत्य नहीं है । अत: ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए ।**

7. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारुप:

7.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र विहित प्रारूप में दस्तावेज सत्यापन के समय तब प्रस्तुत करना होगा, जब ऐसे प्रमाणपत्रों की मांग संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय की

जाए। अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/आपिव/शादि/भूपूसै के संबंध में उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता/आवेदन को सामान्य (अना) श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। प्रमाणपत्रों के प्रारुप परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न हैं। दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम,1995 (1996 का I) के अधीन जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी वैध होगा। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7.2 अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नहीं आता/आती है। इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि**,** आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात12.09.2019 होगी।

7.3 अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती। अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/अजजा/अपिव/दि.जन/भू.पू.सै का दावा करते हैं तो उन्हें आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से वारित कर दिया जाएगा।

8. अनिवार्य शैक्षिक योग्यता/अनुभव: (01-01-2020को):

8.1 विभिन्न पदों के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनुभव**,** इत्यादि निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	**पद**	**शैक्षिक एवं अन्य योग्यता**
1.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)**,** केन्द्रीय जल आयोग	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा डिप्लोमा।
2.	केन्द्रीय जल आयोग में कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्था से यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा डिप्लोमा।
3.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)**,** केलोनिवि	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा ।
4.	कनिष्ठ अभियंता(वैद्युत)**,** केलोनिवि	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा ।
5.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल)**,** सैनिक इंजीनियरी सेवा	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा **i)**किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड से सिविल अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा**,** और **ii)** सिविल अभियांत्रिकी कार्य के नियोजन**,** उसका निष्पादन करने और उसके रखरखाव का दो वर्ष का अनुभव
6.	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत एवं यांत्रिक), सैनिक इंजीनियरी सेवा	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा **i)**किसी मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा विश्वविद्यालय

		अथवा बोर्ड से वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा, और **ii)** वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिकी कार्य के नियोजन, उसका निष्पादन करने और उसके रखरखाव का दो वर्ष का अनुभव
7.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल), फरक्का बांध परियोजना	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान अथवा बोर्ड से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
8.	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत), फरक्का बांध परियोजना	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान अथवा बोर्ड से वैद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
9.	कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक), फरक्का बांध परियोजना	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
10.	कनिष्ठ अभियंता(सिविल), सीमा सड़क संगठन , रक्षा मंत्रालय	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान अथवा बोर्ड से सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री । अथवा (क) अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा, और (ख) सिविल अभियांत्रिकी किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से सिविल कार्यों के नियोजन/ निष्पादन/रखरखाव में दो वर्ष का कार्य अनुभव।
11.	कनिष्ठ अभियंता(वैद्युत एवं यांत्रिक), सीमा सड़क संगठन , रक्षा मंत्रालय	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान अथवा बोर्ड से वैद्युत अथवा यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिग्री । अथवा (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड से वैद्युत/ऑटोमोबाइल/यांत्रिक अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा, और (ख) वैद्युत या यांत्रिक अभियांत्रिकी कार्यों के नियोजन/ निष्पादन/रखरखाव में दो वर्ष का कार्य अनुभव।
12.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल), केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
13.	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत), केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वैद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
14.	कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक), केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
16.	कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक), गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय-नौसेना	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से यांत्रिक अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा , और (ख) संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।

17.	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत), गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय, नौ-सेना	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वैद्युत अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से वैद्युत अभियांत्रिकी में तीन वर्ष का डिप्लोमा , और (ख) संबधित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव।
18.	कनिष्ठ अभियंता (सिविल), राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
19.	कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत), राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वैद्युत अभियांत्रिकी में डिप्लोमा
20.	कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिक), राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिप्लोमा

8.2 ऐसे पद जहां अनुभव अपेक्षित है, अभ्यर्थी द्वारा वह अनुभव अनिवार्य रूप से संबंधित पद के लिए यथा-विनिर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता पूरी करने के बाद ही प्राप्त किया गया हो। इसके अतिरिक्त, शैक्षिक योग्यता प्राप्ति के दौरान लिए गए इंटर्नशिप, प्रशिक्षण, अनुसंधान अनुभव आदि को अनुभव के रूप में नहीं माना जाएगा।

8.3 **दिनांक 23.06.2017 को शासकीय राजपत्र के भाग-I (2) (पी) के अधीन प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण) विनियमावली, 2017 के अनुसार अभियांत्रिकी पाठ्यक्रमों में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के अधीन शिक्षण मान्य नहीं है।**

8.4 दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाने वाले सभी अभ्यर्थियों को **01.01.2020** को अथवा उससे पूर्व न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त कर लेने के प्रमाण के रूप में सभी संगत मूल प्रमाण पत्र जैसे अंकतालिकाएं,अनंतिम डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत करने होंगे। ऐसा न करने पर आयोग द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। वे अभ्यर्थी जो दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित कर पाते हैं कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट्-ऑफ तिथि को अथवा उससे पूर्व घोषित किया गया था तथा उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है, तो शैक्षिक योग्यता को पूरा करने की दृष्टि से उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा।

9. अतिरिक्त समय का प्रावधान तथा प्रलिपिक की सहायता:

9.1 दृष्टिहीनता, चालन संबंधी दिव्यांगता (दोनों बांह प्रभावित-दो.बां.) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित श्रेणी में न्यूनतम मानदंड के दिव्यांग व्यक्तियों के मामले में, अभ्यर्थी द्वारा मांगे जाने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाती है। **चूँकि यह पद दृष्टिहीनता, दोनों बांह प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित दिव्यांगत व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हैं अत: ऐसे अभ्यर्थियों को प्रलिपिक की सुविधा और अतिरिक्त समय की अनुमति नहीं होगी।**

9.2 न्यूनतम मानदंड दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों की अन्य श्रेणी के मामले में, **अनुबंध-I** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से परीक्षा के समय इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने की शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है।

9.3 अभ्यर्थी के पास अपने प्रलिपिक अथवा आयोग द्वारा मुहैआ कराए गए प्रलिपिक की सुविधा में से किसी एक को चुनने का विवेकाधिकार होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थी द्वारा इस संबंध में उपयुक्त विकल्प देना होगा।

9.4 यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रलिपिक का विकल्प दिया जाता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे की होनी चाहिए। अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे न्यूनतम मानदंड दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को **अनुबंध-II** पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार परीक्षा के समय अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। इसके अलावा, प्रलिपिक को परीक्षा के समय अपने वैध पहचान प्रमाणपत्र की (पैरा-14.7 में दी गई सूची के अनुसार) मूलप्रति प्रस्तुत करनी होगी। **अनुबंध-II** पर दिए गए प्रोफार्मा के साथ अभ्यर्थी के अलावा प्रलिपिक द्वारा हस्ताक्षरित प्रलिपिक के पहचान प्रमाणपत्र की फोटोप्रति प्रस्तुत की जाएगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी उस पद के लिए अपने अधिकार और उससे संबद्ध दावों को खो देगा।

9.5 ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपर्युक्त पैरा 9.2 में यथा-वर्णित उपबंधों के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, तो उन्हें परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

9.6 पैरा 9.2 में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है, परन्तु प्रलिपिक की सुविधा का लाभ नहीं लेते हैं, तो उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

9.7 परीक्षा परिसर के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के लिए प्रलिपिक के अलावा किसी परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10 आवेदन करने का तरीका और आवेदन शुल्क:

10.1 आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश के लिए कृपया अनुबंध-III और अनुबंध-IV देखें।

10.2 देय शुल्कः 100/-रूपए (मात्र एक सौ रूपए)।

10.3 शुल्क का भुगतान बी.एच.आई.एम.यू.पी.आई/भा. स्टेट बैंक चालान/नेट बैकिंग अथवा वीजा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है।

10.4 महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा), दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों को शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त है।

10.5 ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करने की सुविधा **14.09.2019 (अपराह्न 5:00 बजे)** तक उपलब्ध होगी। तथापि, वे अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, वे **16.09.2019** तक बैंक के कार्य-समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं में नगद भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने **14.02.2019 (अपराह्न 5:00 बजे)** तक चालान तैयार कर लिया है।

10.6 निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया

जाएगा। ऐसे निरस्तीकरण के बारे में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार जमा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा अथवा चयन के लिए इसे समायोजित किया जाएगा।

10.6 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं दी गई है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग में जमा हो गया है। यदि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'Incomplete' दर्शाएगा तथा यह सूचना आवेदनपत्र के शीर्ष पर मुद्रित होगी। इसके अलावा शुल्क भुगतान की स्थिति के बारे में अभ्यर्थी की लॉग-इन स्क्रीन में मुहैआ किए गए लिंक "Payment Status' पर जांच की जा सकती है। ऐसे आवेदन, जिनकी स्थिति शुल्क भुगतान प्राप्त न होने के कारण अपूर्ण रहती है, उनको **सरसरी तौर पर निरस्त** कर दिया जाएगा तथा परीक्षा की विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों के शुल्क भुगतान के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

11. परीक्षा केन्द्र

(क) अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उस केन्द्र (केन्द्रों) को दर्शाना चाहिए जिसमें वह परीक्षा देने का इच्छुक है। परीक्षा केन्द्रों के ब्यौरे तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम, जिनके क्षेत्राधिकार में ये परीक्षा केन्द्र स्थित हैं, का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	परीक्षा केन्द्र और केंद्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग क्षेत्र और उसके क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य/संघ शासित राज्य	क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के पते/ वेबसाइट
1.	भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी	**मध्य क्षेत्र (म.क्षे.)**/ बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज - 211 001 **(http://www.ssc-cr.org)**
2.	पोर्ट ब्लेयर, बोकारो, धनबाद,जमशेदपुर, हजारीबाग, रांची, बालासोर, बालासोर, बेहरामपुर-गंजम, भुवनेश्वर, कटक, राऊरकेला, सम्बलपुर, गंगटोक, आसनसोल, हुगली, कल्याणी, कोलकाता, सिलीगुड़ी	**पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.)** / अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, (8वांतल), 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700020 **(www.sscer.org)**
3.	बेलगवी, बेंगलूरू, हुबली, कलाबुर्गी (गुलबर्गा), मेंगलूरू, मैसूरू, शिमोगा, उडुपी, एरणाकुलम, कन्नूर, कोल्लम, कोट्टयम, कोझिकोड, त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम, कावारत्ती	**कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.)** / लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	क्षेत्रीय निदेशक (कर्नाटक केरल क्षेत्र), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला बेंगलुरू, कर्नाटक-560034 **(www.sscskr.kar. nic.in)**
4.	भिलाई नगर, बिलासपुर, रायपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर , जबलपुर, सागर,	**मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्रे.क्षे.)** /छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	उप निदेशक (म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग,

	सतना, उज्जैन		जे-5, अनुपम नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़-492007 **(www.sscmpr.org)**
5.	इटानगर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी (दिसपुर), जोरहाट, सिलचर, तेजपुर, इम्फाल, शिलांग, आइजोल, कोहिमा, अगरतला	**पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वो क्षे.)** / अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।	क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट गेट, बेलतला-बशिष्ठ रोड, डाकघर असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 **(www.sscner.org.in**
6.	दिल्ली रा.रा.क्षे. , अलवर, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर, देहरादून , हल्द्वानी , रुड़की	**उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.)** / रा.रा.क्षे. दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक(उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 **(www.sscnr.net.in)**
7.	चण्डीगढ़, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, लेह , सांबा, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर), अमृतसर, जालंधर , लुधियाना, मोहाली, पटियाला	**पश्चिमोत्तर उप क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.)** / चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब	उप निदेशक (पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या- 3, भूतल, केन्द्रीय सदन , सेक्टर-9, चंडीगढ़-160009 **(www.sscnwr.org)**
8.	चिराला, गुंटूर, काकीनाड़ा, कर्नूल, नेल्लौर, राजमुंदरी , तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम, विजयनग्राम, पुडुचेरी, चेन्नई , कोयंबटूर, मदुरै, सलेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, वेल्लोर, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल	**दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)**/ आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना।	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा तल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई कैंपस, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु -600006 **(www.sscsr.gov.in)**
9.	पणजी, अहमदाबाद , आनन्द, गांधीनगर, मेहसाना, राजकोट , सूरत, वदोदरा, अमरावती, औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नांदेड, नासिक, नवी मुंबई, पुणे	**पश्चिमी क्षेत्र (प. क्षेत्र)** / दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, दक्षिण विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र- 400020 **(www.sscwr.net)**

11.2 कोई भी अभ्यर्थीर्थी प्राथमिकता के आधार पर एक ही क्षेत्र में तीन केंद्रों का विकल्प दे सकता है। **किसी भी परिस्थिति में केंन्द्र के परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा** । अतः अभ्यर्थियों को केंन्द्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इसे ठीक से इंगित करना चाहिए।

11.3 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंन्द्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग को किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार है। आयोग को किसी भी केन्द्र के अभ्यर्थी को परीक्षा देने के लिए किसी अन्य केंन्द्र पर स्थानांतरित करने का भी अधिकार है।

12. **परीक्षा की रूपरेखा**

12.1 इस परीक्षा में दो पेपर होंगे अर्थात पेपर-**I** (कम्प्यूटर आधारित परीक्षा) और पेपर-**II** (वर्णानात्मक प्रकार की)। इन पेपरों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

पेपर	परीक्षा की पद्धति	विषय	प्रश्नों की संख्या/ अधिकतम अंक	अवधि एवं समय
पेपर-I (वस्तुनिष्ठ प्रकार) (परीक्षा की तिथि **की बाद में अधिसूचना जारी की जाएगी)**	कम्प्यूटर आधारित पद्धति	(i) सामान्य बुद्धिमता एवं तर्कशक्ति (ii) सामान्य जानकारी (iii) भाग-क सामान्य अभियांत्रिकी (सिविल एवं संरचनात्मक) या भाग-ख सामान्य अभियांत्रिकी (वैद्युत) या भाग-ग सामान्य अभियांत्रिकी (यांत्रिक)	50/50 50/50 100/100	2 घंटे (उन अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट जिन्हें पैरा 9.2 के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है।)
पेपर-II (वर्णानात्मक प्रकार) (परीक्षा की तिथि **की बाद में अधिसूचना जारी की जाएगी**	लिखित परीक्षा	भाग-क सामान्य अभियांत्रिकी (सिविल एवं संरचनात्मक) या भाग-ख सामान्य अभियांत्रिकी (वैद्युत) या भाग- ग सामान्य अभियांत्रिकी (यांत्रिक)	300	2 घंटे (उन अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट जिन्हें पैरा 9.2 के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमति दी गई है।)

12.2 अभ्यर्थियों को सामान्य अभियांत्रिकी के लिए पेपर-I और पेपर-II में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन फार्म में दिए गए विकल्प के अनुसार केवल एक भाग ही हल करना होगा। दूसरे शब्दों में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), कनिष्ठ अभियन्ता (मात्रा सर्वेक्षण एवं संविदा) के पद के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को पेपर-I और पेपर-II में भाग-क (सिविल

एवं संरचनात्मक) हल करना होगा और कनिष्ठ अभियंता (वैद्युत) के पद के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को भाग-ख (वैद्युत) हल करना होगा और कनिष्ठ अभियन्ता (यात्रिक) के पद के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को पेपर-I और पेपर-II का भाग-ग (यांत्रिक) हल करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

12.3 पेपर-। में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्न अंग्रेजी व हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे।

12.4 प्रश्न पत्र-I में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे । अतएव, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों का उत्तर देते हुए इस तथ्य को ध्यान में रखें ।

12.5 अभ्यर्थियों को केवल पेपर-II के लिए स्वयं अपना स्लाइड-रूल, कैलकुलेटर, लघुगणक टेबल और स्टीम टेबल लाने की अनुमति है । उन्हें पेपर-I में ये सहायता सामग्री इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है ।

12.6 परीक्षा के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर उत्तर कुंजियों को प्रदर्शित किया जाएगा । अभ्यर्थी अपने टेस्ट फॉर्म के अनुसार उत्तर कुंजियों को देख सकते हैं तथा आयोग द्वारा दी गई समय-सीमा के भीतर अभ्यावेदन, यदि कोई है, 100 रुपए प्रति प्रश्न का भुगतान करके केवल ऑनलाइन माध्यम से भेज सकते हैं । उत्तर कुंजियों को अपलोड करते समय, आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त उत्तर कुंजियों से संबंधित किसी भी अभ्यावेदन की संवीक्षा की जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा । बाद में उत्तर कुंजियों से संबंधित किसी भी अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

12.7 पेपर-I में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को सामान्यीकृत किया जाएगा और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का अंतिम योग्यता सूची और कट्-ऑफ अंकों का निर्धारण करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

12.8 पेपर-II या तो हिंदी में लिखना होगा या अंग्रेजी में। पेपर आंशिक रूप से हिंदी या अंग्रेजी में लिखने पर शून्य अंक दिए जाएंगे।

12.9 पेपर-II में, अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर निर्धारित स्थान पर अपना सही रोल नम्बर और विषय लिखना चाहिए। अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका के संगत कॉलम में अपना हस्ताक्षर करना चाहिए और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना चाहिए। यदि उत्तर पुस्तिका में रोल नम्बर, विषय, हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान नहीं होने पर उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों को शून्य अंक दिया जाएगा।

12.10 अभ्यर्थियों को कड़ाई से सलाह दी जाती है कि वे उत्तर पुस्तिका (पेपर-II) के अन्दर कोई व्यक्तिगत पहचान, जैसे- नाम, रोल नम्बर, मोबाइल नम्बर, पता आदि न लिखें। इन अनुदेशों का पालन करने में विफल रहने पर अभ्यर्थियों को शून्य अंक दिया जाएगा।

13. **निदर्शनात्मक पाठ्यक्रम**

13.1 इंजीनियरी विषयों में प्रश्नों का स्तर लगभग अभियांत्रिकी (सिविल/वैद्युत/यांत्रिकी) में डिप्लोमा स्तर का होगा । सभी प्रश्न, एस आई यूनिट में सेट किए जाएंगे । पाठ्यक्रम के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं:

13.2 पेपर-I

13.2.1 सामान्य बुद्धिमता एवं तर्कशक्तिः सामान्य बुद्धिमता के पाठ्यक्रम में शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षण में सादृश्यता, समानता और भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेदक निरीक्षण, संबंध-अवधारणा, अंकगणितीय तर्कशक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या शृंखला आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षण में अमूर्त विचार और प्रतीक तथा उनके संबंध, अंकगणितीय गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक कार्यों में अभ्यर्थी की योग्यता के परीक्षण हेतु तैयार किए गए प्रश्नों को भी शामिल किया जाएगा।

13.2.2 सामान्य जानकारीः- इन प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण के संबंध में उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज में इसके अनुप्रयोग की जांच करना होगा। समसामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं वैज्ञानिक पहलुओं संबंधी अनुभव की जांच करने के लिए भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी भी शिक्षित व्यक्ति से की जाती है। इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राजनीति-व्यवस्था तथा वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये प्रश्न ऐसे होंगे जिनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं होती।

13.2.3 सामान्य अभियांत्रिकीः सिविल एवं संरचनात्मक, वैद्युत तथा यांत्रिकः

13.2.3.1 भाग- क (सिविल अभियांत्रिकी)

निर्माण सामग्री, आकलन, लागत एवं मूल्यांकन, सर्वेक्षण, मृदा यांत्रिकी, द्रवचालिकी, सिंचाई अभियांत्रिकी, परिवहन अभियांत्रिकी, पर्यावरणीय अभियांत्रिकी।

संरचनात्मक अभियांत्रिकी

संरचना का सिद्धांत, कंक्रीट प्रोद्यौगिकी, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन।

13.2.3.2 भाग - ख (वैद्युत अभियांत्रिकी)

आधारभूत धारणा, परिपथ नियम, चुंबकीय परिपथ, एसी मूलभूत नियम, माप तथा मापन यंत्र,वैद्युत मशीनें, खंडशः किलावॉट मोटर तथा एकल प्रावस्था प्रेरण मोटर, तुल्यकालिक यंत्र, उत्पादन, संचारण एवं वितरण, आकलन एवं लागत, उपयोगिता तथा वैद्युत ऊर्जा, मूल इलैक्ट्रॉनिक्स।

13.2.3.3 भाग - ग (यांत्रिक अभियांत्रिकी):

यंत्र एवं यंत्र डिजाइन का सिद्धांत, अभियांत्रिकी यांत्रिकी तथा पदार्थ प्रबलता। शुद्ध पदार्थ गुणधर्म, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, आईसी इंजन के लिए वायु मानक चक्र, आई सी इंजन निष्पादन, आई सी इंजन दहन, आई सी इंजन शीतलन एवं स्नेहन, रैंकिन चक्र पद्धति, बॉयलर, वर्गीकरण, विनिर्देश, समंजन एवं उपसाधन, वायु संपीडनी एवं उनके चक्र, प्रशीतन चक्र, प्रशीतन संयंत्र के सिद्धांत, तुंड एवं भाप टरबाइन

तरल के गुणधर्म एवं वर्गीकरण, तरल स्थैतिकी, तरल दाब का मापन, तरल शुद्धगतिक, आदर्श तरल की गतिकी, प्रवाह दर के मापन का मूल सिद्धांत, द्रवचालित टरबाइन, अपकेन्द्री पम्प, इस्पात का वर्गीकरण।

13.3 पेपर-II

13.3.1 भाग -क (सिविल एवं संरचनात्मक अभियांत्रिकी):

निर्माण सामग्रीः भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, वर्गीकरण, मानक परीक्षण, सामग्रियों अर्थात् निर्माण प्रस्तर, सिलिकेटित आधारित सामग्री, सीमेंट (पोर्टलैंड), ऐस्बेस्टॉस उत्पाद, टिम्बर एवं काष्ठ आधारित उत्पाद, पटलन, बिटुमेनी सामग्री, पेंट, वार्निश का प्रयोग और निर्माण/उत्खनन।

आकलन, लागत एवं मूल्यांकनः आकलन, तकनीकी शब्दावली, दरों का विश्लेषण, मापन की विधियां और इकाई, कार्य की मदें - मृदाबंध, ईंट कार्य (माड्यूली और परम्परागत ईंट), आर सी सी कार्य, शटरिंग, टिंबर कार्य, पेटिंग, फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, सीमांत दीवार, ईंट भवन, जल टैंक, सैप्टिक टैंक, बार बैंडिंग तालिका, केन्द्रीय रेखा विधि, मध्य-खण्ड सूत्र, समलंब सूत्र, सिम्सन का नियम, सैप्टिक टैंक का लागत आकलन, नम्य पेवमेंट्स, नल कूप, (ट्यूबवैल) एकल एवं संयुक्त फुटिंग्स, स्टील ट्रॅस, पाइल एवं पाइल-कैप्स। मूल्यांकन - मूल्य एवं लागत, कबाड़ मूल्य, बचाव मूल्य, निर्धारित मूल्य, घटती हुई निधि, अवमूल्यन एवं अपक्षय, मूल्यांकन की विधि।

सर्वेक्षणः सर्वेक्षण के सिद्धांत, दूरी मापन, श्रंखला सर्वेक्षण, प्रिज्मीय कम्पास की कार्य प्रणाली, कम्पास ट्रवर्सिंग, बेयरिंग्स, स्थानीय आकर्षण, प्लेन टेबल सर्वेक्षण, थियोडोलाइट मालारेखण, थियोडोलाइट का समायोजन, समतलन, समतलन में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा, परिरेखण, वक्रता एवं अपवर्तन संशोधन, डम्पी लेवल के अस्थायी एवं स्थायी समायोजन, परिरेखण की विधियां, परिरेखा मानचित्र के प्रयोग, टैकिमितीय सर्वेक्षण, वक्र व्यवस्थापन, मृदा कार्य परिकलन, उन्नत सर्वेक्षण उपस्कर।

मृदा यांत्रिकीः मृदा का उद्भव, प्रावस्था आरेख, परिभाषाएं- रिक्ति अनुपात,सूक्ष्मरंध्रता संतृप्ति की मात्रा, जलांश, मृदा कणों का विशिष्ट घनत्व, मात्रक भार,विभिन्न प्राचलों का घनत्व सूचक एवं परस्पर संबंध, कण आकार बंटन वक्र एवं उनके उपयोग। मृदा के सूचक गुणधर्म, अट्टरबर्ग की सीमा, आई एस आई मृदा वर्गीकरण एवं सुघट्यता चार्ट। मृदा की पारगम्यता, पारगम्यता गुणांक, पारगम्यता गुणांक का निर्धारण, परिरूद्ध एवं अपरिरूद्ध जलभृत्, प्रभावी प्रतिबल, बालुपंक, मृदाओं का संपिंडन, संपिंडन का सिद्धांत, संपिंडन की मात्रा, पूर्व-संपिंडन दाब, सामान्यतः संपिंडित मृदा, ई-लोग पी वक्र, चरम बस्ती का अभिकलन। मृदा की अपरूपण शक्ति, प्रत्यक्ष अपरूपण परीक्षण, पिच्छ अपरूपण परीक्षण, त्रिअक्षीय परीक्षण। मृदा संहनन, प्रयोगशाला संहनन परीक्षण, अधिकतम शुष्क घनत्व एवं इष्टतम नमी की मात्रा, पृथ्वी दाब सिद्धांत, सक्रिय एवं निष्क्रिय भू दाब, मृदा की दिक्मान धारिता, प्लेट भार परीक्षण, मानक वेधन परीक्षण।

द्रवचालितः तरल गुणधर्म, द्रवस्थैतिक, प्रवाह का मापन, बर्नूली का प्रमेय एवं इसके अनुप्रयोग, नली के माध्यम से प्रवाह, खुली वाहिकाओं में प्रवाह, बंधिका, अवनालिका, अधिप्लव मार्ग, पंप एवं टरबाइन।

सिंचाई अभियांत्रिकीः परिभाषा, आवश्यकता, लाभ, सिंचाई के 2II प्रभाव, सिंचाई के प्रकार एवं विधियां, जलविज्ञान - वर्षा का माप, वाहजल गुणांक, वृर्षामापी, वर्षण से क्षय - वाष्पीकरण, अंतःस्यंदन आदि । फसलों की जल आवश्यकता, जलमान, डेल्टा और आधार काल, खरीफ एवं रबी फसलें, कमाण्ड क्षेत्र, समय कारक, फसल अनुपात, अतिव्याप्ति भत्ता, सिंचाई दक्षता। विभिन्न प्रकार की नहरें, नहर सिंचाई के प्रकार, नहरों में जल की हानि। नहर लाइनिंग - प्रकार व लाभ। उथले एवं गहरे कुएं , कुएं से उपज। बंधिका एवं बांध, बंधिकाओं की असफलता एवं पारगम्य आधार, रेखाछिद्र एवं निघर्षण, केनेडी का क्रातिक वेग का सिद्धांत। लेसी का एकसमान प्रवाह का सिद्धान्त। बाढ़ की परिभाषा, कारण व प्रभाव, बाढ़ नियंत्रण की विधियां, जलाक्रांति, निवारक उपाय। भूमि उद्धार, मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने के लक्षण, उद्देश्य, पद्धति, भूमि की निर्माण एवं उद्धार प्रक्रिया। भारत में प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं।

परिवहन अभियांत्रिकीः राजमार्ग अभियांत्रिकी - अनुप्रस्थ काट घटक, ज्यामितीय डिजाइन, पेवमंट के प्रकार, पेवमंट सामग्री - समूह एवं बिटूमेन, विभिन्न परीक्षण, नम्न एवं दृढ़ कुट्टिम के डिजाइन - जल परिबंध मैकेडम (डब्ल्यू बी एम) और आर्द्र मिश्र मैकेडम(डब्ल्यू एम एम), बजरी सड़क, बिटुमेनी निर्माण, दृढ़ कुट्टिम जोड़, कुट्टिम अनुरक्षण, राजमार्ग जलनिकास, रेलवे अभियांत्रिकी-स्थायी पथ के घटक-स्लीपर, बैलास्ट, साजो सामान तथा बंधक, पथ ज्यामिति, चिन्ह तथा क्रॉसिंग, पथ संधि, स्टेशन एवं यार्ड। यातायात अभियांत्रिकी - विभिन्न यातायात सर्वेक्षण, गति-प्रवाह-घनत्व एवं उनके अन्तरसंबंध, चौराहा एवं एकान्तरण, यातायात सिगनल, यातायात प्रचालन, यातायात चिन्ह एवं अंकन, सड़क सुरक्षा।

पर्यावरणीय अभियांत्रिकीः जल की गुणवत्ता, जल आपूर्ति के स्रोत, जल शोधन, जल का वितरण, स्वच्छता की आवश्यकता, मलजल प्रणाली, वृत्ताकार सीवर, अंडाकार सीवर, सीवर उपकरण, मलजल शोधन। सतही जल निकासी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन - प्रकार, प्रभाव, अभियांत्रिक प्रबंधन प्रणाली। वायु प्रदूषण - प्रदूषक, कारण, प्रभाव, नियंत्रण। ध्वनि प्रदूषण - कारण, स्वास्थ्य पर प्रभाव, नियंत्रण।

संरचनात्मक अभियांत्रिकीः

संरचना के सिद्धान्तः प्रत्यास्थता अचर, बीमों के प्रकार- परिमित एवं अपरिमित, एकशः साधारण रुप में अवलंब देने वाले कैन्टीलीवर एवं प्रलंबी बीम के बंकन आघूर्ण एवं अपरूपण बल आरेख। आयातकार एवं वर्तुल खण्डों के लिए क्षेत्र का आघूर्ण एवं जड़त्व का आघूर्ण, शिखर (tee), वाहिकाओं एवं संयुक्त खण्डों, चिमनियों, बांधों और धारक भित्तियों, उत्केन्द्र भार के लिए बंकन आघूर्ण और अपरूपण प्रतिबल, एकशः आधारित एवं कैन्टीलीवर बीमों, क्रांतिक भार तथा स्तंभों, परिपथ खण्ड के ऐंठन का ढाल विक्षेपण।

कंक्रीट प्रौद्योगिकीः कंक्रीट की विशेषताएं, लाभ व उपयोग, सीमेंट पुंज, जल गुणवत्ता का महत्व, जल-सीमेंट अनुपात, सुकरणीयता, मिश्र डिजाइन, भण्डारण, बैचिंग, मिश्रण, नियोजन, संहनन, कंक्रीट की परिसज्जा एवं संसाधन, कंक्रीट का गुणवत्ता नियंत्रण, गर्म मौसम एवं सर्द मौसम कंक्रीटिंग, कंक्रीट संरचनाओं की मरम्मत एवं रखरखाव।

आरसीसी डिजाइनः आरसीसी बीम-आनमन सामर्थ्यता, अपरूपण सामथ्यर्ता, आबंध सामथ्यर्ता, एकत प्रबलित एवं दोहरे प्रबलित बीम के डिजाइन, कैंन्टीलीवर बीम। टी-बीम, लिनटल। एकमार्गी एवं द्विमार्गी स्लैब, विलग फुटिंग। प्रबलित ईंट कार्य, स्तंभ, सीढ़ियां, धारक भित्ति, पानी की टंकी (आरसीसी डिजाइन प्रश्न सीमित स्तर एवं कार्यकारी प्रतिबल पद्धति दोनों पर आधारित हो सकते हैं)

स्टील डिजाइनः स्टील डिजाइन एवं स्टील स्तंभों का निर्माण, बीम छत ट्रॅस प्लेट गर्डर।

13.3.2 भाग-ख वैद्युत अभियांत्रिकीः

मूल संकल्पनाएः प्रतिरोध की संकल्पनाएं, प्रेरकत्व, संधारित्रता, एवं उनको प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक। धारा, वोल्टता, विद्युत, उर्जा की अवधारणाएं एवं उनकी इकाइयों की धारणा।

परिपथ नियमः किरखोफ का नियम, जाल प्रमेयों का प्रयोग करते हुए सरल परिपथ हल।

चुंबकीय परिपथः गालक की धारणा, एम एम एफ, प्रतिष्टम्भ, विभिन्न प्रकार के चुंबकीय पदार्थ, विभिन्न विन्यास अर्थात् सीधा, वर्तुल, परिनालिकीय आदि के चालक के लिए चुंबकीय परिकलन। विद्युत-चुम्बकीय प्रेरण, स्वप्रेरण

तथा अन्योन्य प्रेरण।

ए सी मूल सिद्धान्तः तात्कालिक, शिखर, प्रत्यावर्ती तरंगों के आर.एम.एस. तथा औसत मूल्य, ज्यावक्रीय तरंग रुप का निरूपण, आर.एल. और सी वाला समान्तर ए सी परिपथ, अनुनाद, टंकी परिपथ, बहुकली तंत्र - तारा एवं डेल्टा संबंधन, 3 प्रावस्था विद्युत, आर-एल और आर-सी परिपथ का डी सी और ज्यावक्रीय अनुक्रिया।

मापन एवं मापक यंत्रः विद्युत (1 प्रावस्था एवं 3 प्रावस्था, सक्रिय एवं पुनः सक्रिय दोनों) एवं ऊर्जा का मापन, 3 प्रावस्था विद्युत मापन की 2 वाटमापी विधि। बारंबारता एवं कला-कोण का मापन। एम्मापी एवं वोल्टमापी (चल तेल और चल लोह दोनों प्रकार), परिसर वाटमापी का विस्तार, बहुमापी, मेगर, ऊर्जा मीटर ए सी सेतु। सीआरओ का उपयोग, संकेत जनित्र, सीटी, पीटी एवं उनके उपयोग। भू संपर्क दोष अभिज्ञान।

वैद्युत यंत्रः (क) डीसी यंत्र निर्माण, डीसी मोटर और जनित्र के मूल सिद्धान्त, उनकी विशेषताएं, डीसी मोटर का गति नियंत्रण और प्रवर्तन। ब्रेक मोटर विधि, डीसी यंत्रों का क्षय व दक्षता। (ख) 1 प्रावस्था और 3 प्रावस्था ट्रांसफार्मर - निर्माण, प्रचालन के सिद्धान्त, तुल्यमान परिपथ, वोल्टता नियमन, ओ.सी. और एस.सी. परीक्षण, क्षय एवं दक्षता। वोल्टता, बारंबारता तथा तरंग रूप के क्षय के प्रभाव। 1 प्रावस्था एवं 3 प्रावस्था ट्रांसफॉर्मरों का पार्श्व प्रचालन। ऑटोट्रांसफॉर्मर। (ग) 3 प्रावस्था प्रेरणी मोटर, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र, प्रचालन के सिद्धान्त, तुल्यमान परिपथ, ऐंठन-गति अभिलक्षण, 3 प्रावस्था प्रेरणी मोटर का प्रर्वतन एवं चाल नियंत्रण। ब्रेक की विधियां, ऐंठन गति अभिलक्षण पर वोल्टता एवं बारंबारता विविधता के प्रभाव।

खंडश: किलोवाट मोटर्स और एकल प्रावस्था प्रेरणी मोटरः विशेषताएं और प्रयोग

तुल्यकालिक मशीन - 3-प्रावस्था इ. एम. एफ. आर्मेचर प्रतिक्रिया का उत्पादन, वोल्टेज नियंत्रण, दो प्रत्यावर्तित्रों का समांतर प्रचालन, तुल्यकालिकता, सक्रिय और प्रतिघाती शक्ति का नियंत्रण, तुल्यकालिक मोटर की स्टार्टिंग और उनका प्रयोग।

उत्पादन, पारेसण और वितरण - अलग-अलग प्रकार के विद्युत केन्द्र, उद्धार गुणक, विविधता अनुपात, मांग घटक, उत्पादन लागत, विद्युत केन्द्रों का आपसी कनेक्शन विद्युत गुणक सुधार, विभिन्न प्रकार के शुल्क, दोषों के प्रकार, सममित दोषों के लिए शार्ट सर्किट धारा, स्विचगियर-परिपथ वियोजक का अनुमतांक, तेल और वायु द्वारा चाप विलोम का सिद्धांत, एच आर सी फ्यूज, भू-संपर्क रिसाव/अति धारा आदि के प्रति सुरक्षा। बकोल्ज रिले, जनित्रों और ट्रांसफार्मर्स की सुरक्षा की मर्ज-प्राइस प्रणाली, फीडर्स और बस बार्स की सुरक्षा, तडित् निवर्तक, विभिन्न संचारण और वितरण प्रणाली, चालक पदार्थो की तुलना, विभिन्न प्रणालियों की सक्षमता, रज्जु- अलग-अलग प्रकार के रज्जु, रज्जु कोटि निर्धारण और अनुमतांक निम्नन गुणक।

आकलन और लागतः प्रकाश योजना का निर्धारण, मशीनों का विद्युत प्रतिष्ठापन और संगत आई इ नियम, भूसंपर्कन व्यवहार और आई इ नियम।

वैद्युत ऊर्जा का उपयोगः प्रदीप्ति, वैद्युत तापन, वैद्युत वेल्डिंग, इलैक्ट्रोप्लेटिंग , विद्युत परिचालन और मोटर्स।

मूलभूत इलैक्ट्रोनिकीः विविध इलैक्ट्रॉनिकी साधनों का कार्यचालन, उदाहरण के लिए पी. एन. जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर (एन पी एन और पी एन पी प्रकार), बी जे टी और जे एफ इ टी। इन साधनों का प्रयोग करते हुए साधारण

परिपथ।

13.3.3 भाग-ग (यांत्रिक अभियांत्रिकी):

यंत्र और यंत्र डिजाइन का सिद्धांत

साधारण मशीन की संकल्पना, चार रोध संयोजन और बंध गति, गतिपालक चक्र और ऊर्जा का उच्चावचन, बैल्ट्स-वी बैल्ट्स और सपाट वैल्ट्स द्वारा विद्युत संचारण, क्लच-प्लेट और शंक्वाकार क्लच, गियर-गियर के प्रकार, गियर प्रोफाइल और गियर अनुपात गणना, नियामक-सिद्धांत और वर्गीकरण, कीलक संधि, कैम, बियरिंग, कॉलर्स और धुराग्र में घर्षण।

इंजीनियरिंग यांत्रिकी और पदार्थ की प्रबलता

बलों की साम्यावस्था, गति का नियम, घर्षण, प्रतिबल और विकृति की संकल्पना, लचकदार सीमा और लचकदार स्थिरांक, बंकन आघूर्ण और अपरुपण बल आरेख, सम्मिश्र रोध में प्रतिबल, गोलाकार कूपक का विमोटन, स्तंभों का चूर्णन-यूलर्स और रैंकिन्स का सिद्धांत, महीन भित्ति वाली दाब वाहिकाएं।

तापीय अभियांत्रिकी

शुद्ध पदार्थों के गुण- धर्मः H2O जैसे शुद्ध पदार्थ का P-V एवं P-T आरेख, भाप जनन प्रक्रिया के संबंध में भाप सारणी परिचय, संतृप्ति की परिभाषा, आर्द्र और अतिताप्ता स्थिति, शुष्कता अंश की परिभाषा, भाप के अंश, भाप की अतिताप्ता का स्तर, भाप का h-s चार्ट (मोलियर चार्ट)।

ऊष्मागतिकी का पहला नियमः संचित ऊर्जा एवं आंतरिक ऊर्जा की परिभाषा, चक्रीय परिभाषा की ऊष्मागतिकी का पहला नियम, अप्रवाह ऊर्जा समीकरण, प्रवाह ऊर्जा एवं पूर्णोष्म की परिभाषा, स्थायी दशा स्थायी प्रवाह की अवस्थाएं, स्थायी दशा स्थायी प्रवाह ऊर्जा समीकरण।

ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियमः निमज्जन की परिभाषा, ऊष्मा भंडार स्रोत, ऊष्मा इंजन, ऊष्मा पंप एवं रेफ्रिजरेटर ऊष्मा इंजन की ऊष्मीय दक्षता एवं रेफ्रिजरेटर के निष्पादन की सह-दक्षता , ऊष्मागतिकी के द्वितीय सिद्धांत का कलविन-पलंक एवं क्लासियस स्टेटमेंट, तापमान का पूर्ण अथवा ऊष्मागतिकी पैमाना, क्वासियस इंटिगरल, एन्ट्रापी आदर्श गैस प्रक्रिया की एन्ट्रापी परिवर्तन गणना, कॉरनट चक्र एवं कॉरनट दक्षता, पी एम एम-2, इसकी परिभाषा एवं असंभावना।

आई सी इंजनों के लिए वायु मानक चक्रः ओटो चक्र, पी-वी पर प्लॉट, टी-एस प्लेन्स, तापीय दक्षता, डीजल चक्र, पी-वी पर प्लॉट, टी-एस प्लेन्स, तापीय दक्षता।

आई सी इंजन निष्पादन, आई सी इंजन दहन, आई सी इंजन कूलिंग एवं स्नेहन

भाप का रैन्किन चक्रः पी-वी पर साधारण रैन्किन चक्र प्लॉट, टी-एस, एच-एस प्लेन्स, पंप कार्य के साथ व उसके बिना रैन्किन चक्र दक्षता।

बॉयलर, वर्गीकरण विर्निदेशन, समंजन एवं सहायक उपकरणः फायर टयूब एंड वाटर टयूब बॉयलर।

वायु-संपीडक एवं उनके चक्रः प्रशीतन चक्र, प्रशीतन संयंत्र का सिद्धांत, नोजल एवं भाप टरबाइन

तरल - यांत्रिकी एंड मशीनरी

तरल का गुण-धर्म एवं वर्गीकरणः
आदर्श एवं वास्तविक तरल, न्यूटन का श्यानता का सिद्धांत, न्यूटोनियन एवं नान-न्यूटोनियन तरल, संपीड्य एवं गैर-संपीड्य तरल।

तरल प्रतिदर्शजः एक बिंदु पर दाब।

तरल दाब का मापः मैनोमीटर, यू-ट्यूब, इन्क्लाइन्ड ट्यूब।

तरल शुद्धगतिकः स्ट्रीम लाइन, स्तरीय एवं प्रक्षुब्ध बहाव, बाहरी एवं आंतरिक बहाव, सांतत्य समीकरण।

आदर्श तरल की गतिकीः बरनोली के समीकरण, टोटल हैड, वेग हैड, दाब हैड, बरनोली के समीकरण का अनुप्रयोग।

प्रवाह दर का मापन मूल भूत सिद्धांतः वैन्टूरीमापी, पायलट ट्यूब, आरिफीस मीटर।

हाइड्रोलिक टरबाइनः वर्गीकरण, सिद्धांत।

अपकेन्द्री पंपः वर्गीकरण, सिद्धांत, निष्पादन।

उत्पादन अभियांत्रिकी

स्टील का वर्गीकरण : मृदु स्टील एवं मिश्र धातु स्टील, स्टील का ऊष्मा-उपचार, वैल्डिंग-आर्क संधान, गैस संधान, प्रतिरोध संधान, विशेष संधान तकनीके अर्थात् टीआईजी, एमआईजी इत्यादि (ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग), संधान विक्षेप एवं टेस्टिंग, एनडीटी, फाऊंडरी एंड कास्टिंग-विधि (प्रणाली), विक्षेप, विभिन्न कास्टिंग प्रक्रियाएं, फोर्जिंग, बर्हिवेधन इत्यादि मेटल कटिंग सिद्धांत, कटिंग टूल्स, (i) लेथ (ii) पेषण (iii) वेधन (iv) रुपण (v) घर्षण, मशीन, टूल्स एवं निर्माण प्रक्रिया से संबंधित मशीनीकरण के मूल सिद्धांत।

14. परीक्षा में प्रवेशः

14.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधरित परीक्षा में बैठने हेतु रोल नंबर दिया जाएगा और प्रवेश-पत्र दिया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तदनंतर, अर्हक अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर के लिए प्रवेश पत्र/अनुदेश जारी किए जाएंगे।

14.2 आयोग कंप्यूटर आधरित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त पद (पदों) के लिए पात्र हैं। संवीक्षा के दौरान जब दस्तावेजों की संवीक्षा की जाती है, यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे को पुष्ट नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और आयोग का

निर्णय अंतिम होगा।

14.3 परीक्षा संबंधी प्रवेश पत्र (प्र.प) / प्रवेश प्रमाण पत्र, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

14.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा का शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश-पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

14.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण आईडी, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

14.6 परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। **अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।**

14.7 प्रवेश प्रमाणपत्र के अलावा-, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्यजिसमें जन्म तिथि अंकित हो ,जैसा कि प्रवेश प्रमाण पत्र में दी गई है ,लाना अनिवार्य है, जैसे:

14.7.1 आधार कार्ड आधार का प्रिंटआउट-ई /,

14.7.2 मतदाता पहचानपत्र-,

14.7.3 ड्राइविंग लाइसेंस,

14.7.4 पैन कार्ड,

14.7.5 पासपोर्ट,

14.7.6 स्कूल पत्र-कॉलेज पहचान /,

14.7.7 नियोक्ता द्वारा जारी पहचान(निजी/सार्वजनिक उपक्रम/सरकारी) पत्र-, आदि

14.8 यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं दी गई है तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त प्रमाण-पत्र अवश्य लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र और जन्म-तिथि के प्रमाण के रूप में लाए गए फोटो पहचान-पत्र/ प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म-तिथि मेल नहीं खाती है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।

14 9. पैरा 9.2 और 9.4 के अनुसार शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें यथापत्र की फोटोकॉपी भी साथ-प्रलिपिक के फोटो पहचान/पत्र-वचन/उल्लिखित मेडिकल सर्टिफिकेट- में लाना आवश्यक है। उपरोक्त दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14.10 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित होने के दौरान प्रवेश प्रमाणपत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी ले जा सकता है।

14.11 धुंधला फोटोग्राफ और / या हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

15. दस्तावेजों का सत्यापन

15.1 दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अर्हक सभी अभ्यर्थियों को पैरा सं .15.4 में किए गए उल्लेख अनुसार मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।

15.2 दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों और विभागों के लिए विस्तृत विकल्प ले लिए जाएंगे।

15.3 दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होने के दौरान अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट आकार की हालिया रंगीन फोटो और एक मूल फोटो पहचानपत्र लाना आवश्यक है।- फोटो आईडी प्रमाण निम्नलिखित में से कोई हो सकता है:

(क) आधार कार्डआधार का प्रिंटआउट-ई/

(ख) वोटर आईडी कार्ड

(ग) पैन कार्ड

(घ) पासपोर्ट

(ङ) ड्राइविंग लाइसेंस

(च) सरकारी स्कूलपत्र-कॉलेज का पहचान/

(छ) नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र (सार्वजनिक उपक्रम/सरकारी)

15.4 अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी जैसे:

15.4.1 मैट्रिकमाध्यमिक प्रमाण पत्र/

15.4.2 शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र

15.4.3 यदि पद के लिए अपेक्षित है तो अनुभव प्रमाणपत्र।

15.4.4 यदि आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आता है, तो जातिपत्र।-श्रेणी प्रमाण/

15.4.5 यदि आवश्यक हो, तो आवश्यक प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाण पत्र।

15.4.6 भूतपूर्व सैनिक :के लिए (ईएसएम)

15.4.6.1 **अनुबंध -V** के अनुसार वचनपत्र

15.4.6.2 यदि लागू हो तो **अनुबंध-IV** के अनुसार सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाणपत्र। -

15.4.6.3 यदि सशस्त्र बलों से सेवा मुक्त किया गया हो, तो सेवामुक्ति संबंधी प्रमाणपत्र

15.4.7 यदि आयु में कोई छूट चाहते हैं, तो संगत प्रमाणपत्र-

15.4.8 सरकारसरकारी उपक्रमों में पहले से नियोजित मामले में अनापत्ति प्रमाणपत्र/

15.4.9 ऐसा अभ्यर्थी जो विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि होने पर मैट्रिकुलेशन के बाद नाम बदलने का दावा करता है, उसे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

15.4.9.1 महिलाओं के विवाह के मामले मेंपति : के पासपोर्ट की फोटो कॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की-सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;

15.4.9.2 महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में :यथास्थिति-, पहले पति से तलाक संबंधी विलेखमृत्यु प्रमाण पत्र /; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की-

सत्यापित प्रति या पति और पत्नी के संयुक्त फोटो सहित पति व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;

15.4.9.3 महिलाओं के तलाक के मामले मेंतलाक की डिक्री : की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेखशपथपत्र/;

15.4.9.4 पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम बदलने की अन्य परिस्थितियों में :शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेखशपथपत्र/ और मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों की पेपर कटिंग एक दैनिक) समाचारपत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आसपास के क्षेत्र का होना चाहिएऔर राजपत्र अधिसूचना। (

15.4.10 दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश-पत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

16. पद वरीयता :

16.1 **बीआरओ में कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षण सहित शारीरिक और चिकित्सीय मानकों की सख्त अपेक्षाएं हैं (विवरण अनुलग्नक-XV में उपलब्ध है)। बीआरओ द्वारा अभ्यर्थियों का अंतिम चयन करने के पश्चात इन शारीरिक और चिकित्सा मानकों की जांच की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे परीक्षणों में विफल रहता है, तो किसी अन्य पद / विभाग के लिए उसकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन आवश्यकताओं को पूरी तरह पढ़ ले और अच्छी तरह सोच-विचार करके पदों के लिए वरीयता दें।**

16.2 यह परीक्षा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में कनिष्ठ अभियंताओं के पद के लिए आयोजित की जा रही है । विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के लिए विस्तृत विकल्प अभ्यर्थियों से दस्तावेज सत्यापन के समय लिया जाएगा । यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी मंत्रालय/विभाग/संगठन के लिए अपनी वरीयता नही दी है तो उस मंत्रालय/विभाग/संगठन के लिए अभ्यर्थी के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा । दस्तावेज सत्यापन के समय दिए गए विकल्प अंनतिम माने जाएंगे और किन्ही भी परिस्थितियों में उन्हें बाद में बदला नहीं जाएगा । अत: अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे अपना विकल्प सावधानीपूर्वक दें ।

17. चयन का तरीका :

17.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधरित परीक्षा (प्रश्नपत्र-।) में बैठने हेतु रोल नंबर दिया जाएगा और प्रवेश-पत्र दिया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं।

17.2 परीक्षा के सभी स्तरों के लिए प्रवेश-पत्र आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को नियमित रुप से आयोग मुख्यालय की वेबसाइट (अर्थात www.ssc.nic.in) और आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात उन क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटें जिनके अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए परीक्षा केंद्र स्थित हैं , देखने की सलाह दी जाती है (विवरण पैरा-11.1 पर)।

17.3 पेपर-I और पेपर-II में न्यूनतम अर्हक अंक निम्नानुसार हैं:-

अना.	:	30 %
अ.पि.व/ईडब्लूएस	:	25 %
अन्य	:	20 %

17.4 अभ्यर्थियों को (पेपर-I) अर्थात कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त किए गए सामान्यीकृत अंकों के आधार पर पेपर-II के लिए बैठने हेतु श्रेणी-वार शार्टलिस्ट किया जाएगा।

17.5 प्रश्नपत्र-। + प्रश्नपत्र-।। में अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा।

17.6 मंत्रालयों / विभागों का अंतिम चयन और आवंटन अभ्यर्थियों के पेपर- I + पेपर- II में उनके प्रदर्शन और दस्तावेज सत्यापन के समय पदों / विभागों के लिए उनके द्वारा दी गयी वरीयता के आधार पर किया जाएगा।

17.7 **बीआरओ में कनिष्ठ अभियंता के पदों के लिए शारीरिक क्षमता परीक्षण सहित शारीरिक और चिकित्सीय मानकों की सख्त अपेक्षाएं हैं (विवरण अनुलग्नक-XV में उपलब्ध है)। बीआरओ द्वारा अभ्यर्थियों का अंतिम चयन करने के पश्चात इन शारीरिक और चिकित्सा मानकों की जांच की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे परीक्षणों में विफल रहता है, तो किसी अन्य पद / विभाग के लिए उसकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन आवश्यकताओं को पूरी तरह पढ़ ले और अच्छी तरह सोच-विचार करके पदों के लिए वरीयता दें।**

17.8 अभ्यर्थी को उसकी योग्यता के अनुसार एक बार उसकी प्रथम उपलब्ध वरीयता दिए जाने के बाद उसके नाम पर अन्य विकल्पों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को पदों/विभागों की वरीयता का चयन सावधानीपूर्वक करने की सलाह दी जाती है। अभ्यर्थियों द्वारा एक बार दिया गए विकल्प/वरीयता को **अंतिम** और **अपरिवर्तनीय** माना जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा पद/विभाग में परिवर्तन किए जाने संबंधी बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर किन्हीं भी परिस्थितियों में विचार नहीं किया जाएगा।

17.9 अभ्यर्थियों की योग्यता-सह-अभ्यर्थियों द्वारा दी गई पदों/विभागों की वरीयताओं के आधार पर पदों का अंतिम आबंटन किया जाता है और पद का आबंटन करने के पश्चात किसी पद की शारीरिक/चिकित्सीय/ शैक्षिक मानकों की विशिष्ट अपेक्षाओं को पूरा न करने के कारण आयोग द्वारा पदों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। अन्य शब्दों में, उदाहरणत: यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा किसी पद के लिए उच्चतर वरीयता दी गई है और वह उस पद के लिए चयनित हो जाता/जाती है, तो ऐसे मामले में यदि वह चिकित्सा/शारीरिक/शैक्षिक मानकों को पूरा करने में असफल रहता/रहती है तो उसकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा और अन्य वरीयताओं के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा।

17.10 **अजा, अजजा, अपिव, ईडब्लूएस और शा.दि**. श्रेणी के अभ्यर्थी जो मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं तो उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति अथवा उनकी श्रेणी के लिए उद्दिष्ट की गई रिक्तियों के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में उस पद से सहयोजित किया जाएगा, जो उनके लिए लाभप्रद है। आरक्षित रिक्तियां अलग से **अजा,अजजा, अपिव और शा.दि.** श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

17.11 अजा, अजजा, अपिव,भूतपूर्व सैनिक, आपिव और शारीरिक दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, विचारार्थ विस्तृत क्षेत्र आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, चाहे योग्यता सूची में उसका स्थान कुछ भी हो, वह आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा न कि सामान्य रिक्तियों में। ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में कमी को

पूरा करने के लिए, योग्यताक्रम में उनके रैंक पर ध्यान दिए बिना उनकी आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुसंशित किया जा सकता है। जहां तक भूपूसै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसै को सैन्य सेवा की अवधि के बराबर आयु में कटौती अनुमत्य है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जाएगा । इसी प्रकार दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।

17.12 दिव्यांग व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर चुना गया है, अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह पद संगत श्रेणी के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हो।

17.13 सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

17.14 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्ते पूरी करते हैं । परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्ते पूरी करने के अध्यधीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

17.15 इस परीक्षा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी दो वर्ष की परीवीक्षा पर रहेंगे। परीवीक्षाधीन अवधि के दौरान अभ्यर्थियों को ऐसे प्रशिक्षण अथवा ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा जो नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इसके लिए निर्धारित की गई हों। परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर यदि अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया जाता है तो उसे इस पद पर नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा स्थायी किया जायेगा ।

17.16 नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है अर्थात ये सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) के हैं।

17.17 अंतिम रूप से चयन किए जाने पर अभ्यर्थियों को संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा एक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/क्षेत्र आवंटित किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/कार्यालय द्वारा आवंटित पदों पर अभ्यर्थियों के स्थायीकरण (Confirmation) के लिए आवंटित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/क्षेत्र की स्थानीय भाषा में दक्षता हासिल करने की आवश्यकता हो सकती है।

18. **बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा :** ऐसे मामलों में जहाँ एक से अधिक अभ्यर्थी पेपर-। और पेपर-।। में बराबर समग्र अंक प्राप्त करते हैं, तो बराबरी (टाई) का निपटारा एक के बाद दूसरे निम्नलिखित तरीकों को अपनाते हुए किया जाएगाः-

18.1 पेपर-।। में कुल अंक

18.2 जन्म-तिथि देखकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाता है ।

18.3 वर्णानुक्रम, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम हैं।

19. **कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों को दंड देना/उन्हें वारित करना**

यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी स्तर पर निम्नलिखित में किसी भी कदाचार के दोषी पाए जाते है तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग के परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगाः

क्रम संख्या	**कदाचार का प्रकार**	**वारित अवधि**
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- ओएमआर शीट, रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटें लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचित किए परीक्षा स्थल को छोड़ना	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना,जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
7	‘स्विच ऑन’ या ‘स्विच ऑफ’ मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों /हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
14	आग्नेय शस्त्रों/हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना-धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	7 वर्ष
17	छद्मवेषन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नेपशाट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष

20. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुंच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा. संख्या 39020/1/2016 –स्था. (ख) के तहत जारी निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात आयोग द्वारा आयोजित उक्त खुली प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को आयोग की अपनी वेबसाइट पर घटती हुई रैंकिंग के क्रम में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार**,** यह

निर्णय लिया गया है कि अभ्यर्थियों के निम्नलिखित ब्यौरों को इस वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा:

(i) अभ्यर्थी का नाम

(ii) पिता/पति का नाम

(iii) जन्म तिथि

(iv) श्रेणी (सामान्य/अजा/अजजा/अपिव/शादि/अल्पसंख्यक)

(v) अभ्यर्थी का लिंग

(vi) शैक्षिक योग्यता

(vii) अर्हक परीक्षा में प्राप्त कुल अंक

(viii) रैंकिंग, जिसके द्वारा योग्यता का निर्धारण किया गया है।

(ix) पूरा पता

(x) ई-मेल

तथापि, अपना आवेदन-पत्र भरते समय अभ्यर्थियों के पास सार्वजनिक रूप से उपर्युक्त विवरणों को प्रकट न करने का विकल्प रहेगा। तदनुसार, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और रैंक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे जिन्होंने उपर्युक्त ब्यौरा प्रकट करने का विकल्प दिया है अथवा असावधानीवश अपना विकल्प नहीं दिया है।

21. **आयोग का निर्णय अंतिम:**

पात्रता,आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(ओं) के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन तथा चयन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

22. **न्यायालय/न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार**

इस भर्ती से संबंधित कोई भी विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं, जहॉं से अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

23. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

(क)	**अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।**
(ख)	**अभ्यर्थी को अपना नाम और जन्म तिथि ठीक वैसी ही लिखनी चाहिए जैसा कि मैट्रकुलेशन/सेकेंडरी प्रमाण पत्र में दर्ज है। यदि नाम या जन्म तिथि में विभिन्नता पायी जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।**
(ग)	**अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेसाइट की विसंबंधनता/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।**
(घ)	कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को पढ़ लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद (पदों) के लिए पात्र हैं। सहायक दस्तावेजों की

	प्रतियां दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी। संवीक्षा करने पर यदि यह पाया जाता है कि कोई सूचना अथवा दावा ठीक नहीं है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
(ड.)	अजा/अजजा/अपिव/दि.व्य./ईडब्लूएस/शादि. के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए।
(च)	केवल **बेंचमार्क शारीरिक दिव्यांगता** वाले अभ्यर्थियों को ही दिव्यांग व्यक्ति (शा.दि.) माना जाएगा और वे ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे।
(छ)	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे "अनंतिम" रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन का प्रिंट आउट लेना चाहिए। आयोग को "आवेदन फॉर्म" का प्रिंट आउट भेजने की जरूरत नहीं है।
(ज)	इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा पद की एक श्रेणी के लिए केवल एक ही आवेदन, ऑनलाइन जमा कराया जाए। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें। अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के मामले में आयोग द्वारा नवीनतम आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है तथा परीक्षा में एक से अधिक बार बैठता है (किसी भी स्तर पर) तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
(झ)	अभ्यर्थियों को मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही पिता का नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी।
(ञ)	अपाठ्य /धुंधलें फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
(ट)	एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन /सुधार के अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
(ठ)	अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस .के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।
(ड)	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में दो पासपोर्ट आकार के फोटो और अपनी हाल ही के फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नही है तो अभ्यर्थी को जन्म तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र लाना होगा । शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें पैरा 9.2 और 9.4 में यथा उल्लिखित चिकित्सा प्रमाणपत्र/वचनपत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचानपत्र की फोटो कॉपी लाना होगा।
(ढ)	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरूपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी/ साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
(ण)	सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
(त)	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर/अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या परीक्षा के अगले चरण से दो सप्ताह पहले जो भी पहले हो संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय में अभ्यावेदन करना चाहिए।
(थ)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।

(द)	देय शुल्कः 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र) । महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों और आरक्षण के हकदार भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट है।

अवर सचिव (नी. एवं यो.-II)

अनुबंध-I

परीक्षार्थी की लिखने संबधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती ....(दिव्यांग अभ्यर्थी का नाम), सुपुत्र/सुपुत्री ...., ग्राम/जिला/राज्य .... के निवासी हैं, जोकि ....(दिव्यांगता प्रमाणपत्र में यथा-उल्लिाखित दिव्यांगता का स्वरूप और उसकी प्रतिशतता) से पीड़ित हैं, की जांच की है और उल्लेख करता हूं कि दिव्यांगता के कारण उनकी शारीरिक सीमाएं हैं जिनसे उनकी लेखन क्षमताएं प्रभावित होती हैं।

हस्ताक्षर
सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक
नाम व पदनाम
सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:
तारीख:

टिप्पणी:
संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात दृष्टि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

अनुबंध-II

स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं .... (दिव्यांगता का स्वरूप) .... दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हूं, जिसका..................... (जिले का नाम) .... (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम) .... में स्थित .... (केंद्र का नाम) में रोल नं. .... है। मेरी शैक्षिक योग्यता .... है।

मै सूचित करता/करती हूं कि .... (प्रलिपिक का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में प्रलिपिक/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता .... है। यदि बाद में यह पता चलता है कि उनकी शैक्षिक योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षिक योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद और इससे संबंधित दावे का अधिकार नहीं होगा।

(दिव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान:
तारीख:

अनुबंध- III

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

I.एक बारगी पंजीकरण

II.परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)

1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
   - क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)
   - ख. ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
   - ग. आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या। यदि आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद में मूल दस्तावेज़ को दिखाना होगा।)
     - i.वोटर आईडी कार्ड
     - ii.पैन
     - iii.पासपोर्ट
     - iv.ड्राइविंग लाइसेंस
     - v.स्कूल/कॉलेज आई डी
     - vi.नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
   - घ. बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।
   - ङ. जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए गए पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो (20 केबी से 50 केबी)। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई)X 4.5 सेमी (ऊंचाई) होनी चाहिए। **धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।**
   - च. जेपीईजी फार्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) X 3.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। **धुंधली हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।**
   - छ. यदि आप बेंचमार्क दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या दें ।
3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, http://ssc.nic.in पर 'Log in' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।
4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
   - क. प्रारंभिक विवरण
   - ख. अतिरिक्त जानकारियां और संपर्क विवरण
   - ग. पासपोर्ट आकार के फोटो और हस्ताक्षर के स्कैन इमेज को अपलोड करना ।

5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें:

क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमो में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

ख. क्रम संख्या-1: आधार संख्या/ आधार नामांकन संख्या/पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे मे जानकारी प्रदान करें। इन नम्बरों में से कोई एक नम्बर दिया जाना अपेक्षित है।

ग. क्रम संख्या-2: अपना नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख 2ग और 2घ में करें।

घ. क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

ङ. क्रम संख्या-4: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।

च. क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।

छ. क्रम संख्या-6: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के विवरण में निम्नलिखित शामिल है:

i. शिक्षा बोर्ड का नाम

ii. रोल नंबर

iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष

ज. क्रम संख्या -7: लिंग

झ. क्रम संख्या- 8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)

ञ. क्रम संख्या- 9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।

ट. क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। **एसएससी ऑनलाइन सिस्टम में लॉगिन के लिए आपका ईमेल आईडी ही आपका यूज़र नाम होगा।** यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

ठ. अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।

ड. जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका पंजीकरण आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।

ढ. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।

ण. अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।

त. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।

थ. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, अब तक भरी गई "मूल जानकारी" प्रदर्शित होगी । यदि अपेक्षित हो तो आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं अथवा अपना एकबारगी पंजीकरण पूरा करने के लिए "Next" बटन पर क्लिक कर सकते हैं ।

द. क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।

ध. क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें

न. क्रम संख्या -13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।

प. क्रम संख्या-14: कृपया यदि कोई बेंचमार्क दिव्यांगता की जानकारी दें। यदि आप किसी विशिष्ट दिव्यांगता से पीड़ित है, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें और दिव्यांगता प्रमाणपत्र अपलोड़ करें।

फ. क्रम संख्या-15 से 18: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।

ब. क्रम संख्या 19 से 22: उपरोक्त क्रम संख्या-2 में निर्दिष्टानुसार हाल ही की फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

भ. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें । ड्राफ्ट प्रिंट-आउट लें । 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।

म. 'Final Submit' क्लिक करने पर आपके मोबाइल नम्बर और ई-मेल आई डी पर विभिन्न ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दोनो में से किसी एक ओटीपी डालना होगा।

य. "घोषणा" को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप सहमत हैं तो "I Agree" क्लिक करें ।

कक. प्रारंभिक सूचनाओं को प्रदान करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।

6. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 'प्रारंभिक विवरण' केवल एक बार बदला जा सकता है। इसलिए **एक बारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें** ।

7. **आपको पुन: सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।**

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

1. अपने पंजीकृत ईमेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।
2. 'Latest Notification' टैब के अंतर्गत 'Junior Engineer (Civil, Electical, Mechanical and Quantity Surveying & Contracts) Examination 2019' सेक्शन में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।
3. क्रम सं.-1 से 14 पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसका संपादन नहीं किया जा सकता है।
4. क्रम संख्या-15: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप एक ही क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता के क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए।
5. क्रम संख्या-16: यदि आप एक पूर्व सैनिक हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों/पूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है।
6. क्रम संख्या-16: क्रम सं. 16 और 16.1 में सूचना आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भरी जाएगी।
7. क्रम संख्या-17: यदि आप परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-9.2 के अनुसार प्रलिपिक की सुविधा का लाभ उठाने के पात्र हैं, तो प्रलिपिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करें।
8. क्रम संख्या-18: यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो उपयुक्त आयु छूट श्रेणी का चयन करें।
9. क्रम संख्या-19: उस पद का चयन करें जिनके लिए आप आवेदन कर रहे हैं।
10. क्रम संख्या-20: कृपया पद के लिए संगत अपनी उच्चतम तकनीकी योग्यता , तकनीकी विषयों को इंगित करें।
11. क्रम संख्या-21: यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं तो "Yes" अथवा "No" अंकित करें।
12. क्रम संख्या-22: कृपया परीक्षा-विज्ञप्ति का पैरा संख्या-20 देखें और तदनुसार भरें।
13. क्रम संख्या-23 एवं 24: आपके डाक पता और स्थायी पता के बारे में सूचना आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से स्वत: रूप में भरी जाएगी।
14. आपके फोटो और हस्ताक्षर के संबंध में जानकारी एकबारगी पंजीकरण डाटा से स्वत: भर जाएगी।
15. परीक्षा में बैठने के लिए दिए जाने हेतु अपेक्षित वचनबंध पढ़े और यदि आप सहमत हैं तो "मैं सहमत हूं" चेक बॉक्स पर क्लिक करके और कैप्चा कोड भरकर अपनी घोषणा को पूरा करें।
16. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें और आवेदन जमा करें।
17. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
18. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, एसबीआई चालान/एसबीआई नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या एस बी आई चालान के माध्यम से नकद रूप में एसबीआईइ की शाखाओं में किया जा सकता है।
19. शुल्क के भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञप्ति के पैरा-10 का संदर्भ लें।
20. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट किया जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए। सामान्यतया: आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, डाटा में विसंगति होने पर प्रिंटआऊट की प्रति आयोग द्वारा मांगी जा सकती है।

<u>अनुबंध -V</u>

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र (कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा-6.6देखें)

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर) _____________ (रैंक)______________ (नाम)________________________ (दिनांक)_____________ को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थानः (कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांकः कार्यालय की मुहरः

भूतपूर्व सैनिक द्वारा प्रदान किया जाने वाला वचनपत्र

मैं ………………………………………………, अनुक्रमांक …………………………
....परीक्षा, 20   के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एततद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:
(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुन: रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।
(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुन: रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ; अथवा
(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक ……………………को …… . ……………… .... कार्यालय में ....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एततद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा
(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक ……………………को …… . ……………… .... कार्यालय में ....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;
मैं एततद्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझा जाएगा।

हस्ताक्षर: …………………
नाम: ……………
अनुक्रमांक: ....
दिनांक: ……………
सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि: ……………
कार्यमुक्ति की तिथि: ……………
अंतिम इकाई / कोर: ……………
मोबाइल नंबर: ……………
ईमेल आईडी:.....................

अनुबंध-VII

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या मूल प्रतिलिपि।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*______________ पुत्र/पुत्री___________________
निवासी ग्राम/कस्बा* _____________ जिला/संभाग* ____________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* __________ के ________________ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त हैः-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 ____________
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 ____________
संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* ____________
संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* ____________

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 ________
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 ________
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962
संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@
संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@
संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996@
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@
संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002@

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ________ के माता/पिता श्री/श्रीमती ________ निवासी ________ ग्राम/कस्बा* ________ जिला/संभाग* ________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ________ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो ________ जाति/ जनजाति से संबंधित हैं जो ________ दिनांक ________ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी ________ और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*________जिला/संभाग* ________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ________ में रहता है।

हस्ताक्षर..

**पदनाम..
(कार्यालय की मुहर सहित)
स्थान ________
दिनांक.....................

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।
@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:-**

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी:- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

अनुबंध-VIII

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ________ सुपुत्र/सुपुत्री ________ ग्राम/कस्बा ________ जिला/संभाग ________ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ________ समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजकि न्याय एवं अधकिारिता मंत्रालय के संकल्प सं --------------- दिनांक ------* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/श्रीमती/कु० --------------- तथा/या उनका परिवार सामान्यतः--------------- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के --------------- जिला/संभाग में रहता/रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/ 22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिलाधीश
उपायुक्त आदि

दिनांक:
मुहरः

---

*प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

** समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी-I (क):- यहां प्रयुक्त ‘सामान्यतः’ शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

अनुबंध- IX

.... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछडे वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या ____________ दिनांक _________________

वर्ष .... लिए मान्य

यह प्रमाणित करना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _________________________ पुत्र/पुत्री/पत्नी ______________स्थायी निवासी ___________________गाँव/गली _____________ डाकघर __________________ जिला ___________________ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र __________________ पिन कोड __________ जिनकी फोटो नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष .... के लिए उनकी /उनके 'परिवार' ** की कुल वार्षिक आय* 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं है :

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;

II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ________________________ का संबंध ______________ जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.................................

नाम ....

पद..................................

आवेदक के हाल ही के पासपोर्ट आकार की सत्यापित फोटो

* नोट 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय।

** नोट 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

*** नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया

अनुबंध -X

प्रारूप-V

दिव्यांगता प्रमाण पत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात के मामले या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. --------------- दिनांक ---------------

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-------------------------------------सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री -------
-------------------------------------जन्म तिथि ------------------ (दि/म/व) आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला------------- पंजीकरण संख्या ---------- मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर ------- जिला ------------- राज्य ------------- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि:-

(क) उनका मामला:

- गतिविषयक दिव्यांगता
- बौनापन
- नेत्रहीनता का है

(जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)

(ख) उनके मामले में -------------- निदान किया गया है।

(ग) वे दिशानिर्देशों ------------- (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार अपने ---------- ---- (शारीरिक अंग) (उल्लेख करें) के संबंध में ------------ %(अंकों में) ------------ % (शब्दों में) स्थायी गतिविषय दिव्यांगता/बौनापन/नेत्रहीनता से पीड़ित हैं।

2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के
प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

अनुबंध-XI

प्रारूप-VI

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(बहु नि:शक्तता संबंधी मामलों में)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. --------------- दिनांक ---------------

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी-------------------------------- *सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री* ---------- ----------------------------------*जन्म तिथि* ----------------- *(दि/म/*व) आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला--- ---------- पंजीकरण संख्या ---------- मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर ------- जिला ---- --------- राज्य ------------- के स्थायी निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि:-

(क) उनका मामला बहु निःशक्तता है। उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों .... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
7.	अल्प दृष्टि	#		
8.	नेत्रहीनता	#		
9.	बधिरता	£		
10.	श्रवण दिव्यांगता	£		
11.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
14.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक बीमारी			
16.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
17.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
18.	पार्किन्सन बीमारी			
19.	हेमोफिलिया			
20.	थेलेसेमिया			

21.	सिकल सेल डिसीज़			

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ में, उसकी समग्र स्थायी शारीरिक दिव्यांगता दिशानिर्देशों .... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित है:

अंको में .... प्रतिशत

शब्दों में .... प्रतिशत

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) .... वर्ष ....माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र .... (तारीख) .... (माह) ....(वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख

£ उदाहरण: बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए है:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षण एवं मोहर

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

<u>अनुबंध-XII</u>

प्रारूप-VII

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(प्रपत्र V और VI में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता) प्रमाण पत्र सं. --------------- दिनांक ---------------	निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी--------------------------------- सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री ---------- ----------------------------------*जन्म तिथि* ------------------ *(दि/म/*व) आयु ---------- वर्ष पुरूष/ महिला--- ---------- पंजीकरण संख्या ----------, जोकि मकान नं ---------- वार्ड/गांव/गली ---------- डाकघर ------- जिला ------------- राज्य ------------- के स्थायी निवासी हैं और जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूं कि वे .... निशक्तता से पीड़ित हैं। उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों .... (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	निःशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/ मानसिक दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
5.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
6.	अल्प दृष्टि	#		
7.	बधिरता	€		
8.	श्रवण दिव्यांगता	€		
9.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
12.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बीमारी			
14.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार			
15.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
16.	पार्किन्सन बीमारी			
17.	हेमोफिलिया			
18.	थेलेसेमिया			
19.	सिकल सेल डिसीज़			

(कृपया उन निशक्तताओं को काट दें जो लागू न हों)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:

(i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) .... वर्ष ....माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र .... (तारीख) .... (माह) ....(वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

उदाहरणतः एक आँख/दोनों आंखे

€ उदाहरण: बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए है:-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
(नाम और मुहर)

{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है
जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है,
तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/
सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

अनुबंध-XIII

शैक्षिक योग्यता:

डिप्लोमा
बी.ई
बी.टेक.
एएमआईई (भाग क और भाग ख)
बी.एससी.
एम.ई
एम.टेक.
एम.एससी (अभियांत्रिकी)

शैक्षिक योग्यता के लिए विषय कोड:

शैक्षिक योग्यता के विषय
सिविल इंजीनियरिंग
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
मकैनिकल इंजीनियरिंग
ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग

सड़क सीमा संगठन (बीआरओ) में कनिष्ठ अभियंता पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और शारीरिक व चिकित्सीय मानक

1. **शारीरिक दक्षता परीक्षा**

(i) शारीरिक दक्षता परीक्षाओं के लिए मानदंडों को इस अधिसूचना की **"अनुसूची-।"** के रूप में रखा गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षाओं का आयोजन मुख्यालय, महानिदेशक, सीमा सड़क द्वारा नियुक्त अधिकारी मंडल द्वारा जीआरईएफ केन्द्र अथवा यथा-लागू अपने-अपने भर्ती केन्द्र में किया जाएगा।

2. **शारीरिक मापदंड**: जीआरईएफ (सीमा सड़क संगठन) में भर्ती के लिए कार्मिकों के शारीरिक मापदंडों की क्षेत्र-वार अपेक्षाओं का इस अधिसूचना की **"अनुसूची-।।"** में उल्लेख किया गया है।

3. (क) **चिकित्सा मानक :** अत्यन्त सुदूरवर्ती क्षेत्रों, उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों और पहाड़ी भू-भाग के कठिन क्षेत्रों इत्यादि सहित उनके कार्य-स्वरूप कर्तव्यों की सूची और प्रत्याशित तैनाती के अनुसार जीआरईएफ (सीमा सड़क संगठन) में उनकी सेवा के लिए अभ्यर्थियों की भर्ती हेतु विनिर्दिष्ट चिकित्सा मानक अपेक्षित हैं। चिकित्सा मानकों को इस अधिसूचना की ‘**अनुसूची-।।।**’ में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ख) **चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा जांच**: प्रत्येक अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की इस अधिसूचना में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार चिकित्सा परीक्षा और चिकित्सा जांच की जाएगी। यह चिकित्सा परीक्षा, मुख्यालय, महानिदेशक, सीमा सड़क द्वारा मनोनीत चिकित्सा बोर्ड द्वारा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा के आयोजन के लिए अनुसरण किए जाने वाले दिशानिर्देशों और अभ्यर्थियों को अस्थायी अथवा स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित करने की कार्य-प्रणाली का उत्तरवर्ती उप पैरा में उल्लेख किया गया है :

(i) सभी दस्तावेजों की विस्तृत रूप से जांच करने के पश्चात, भर्ती कर रहे अनुभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा कागजात (जिसमें पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ विधिवत चिपका हुआ हो) को जीआरईएफ केन्द्र सहित संबंधित भर्ती केन्द्र के चिकित्सा बोर्ड को सौंपे जाएंगे तथा अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रिपोर्ट करेंगे। अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा जीआरईएफ केन्द्र सहित प्रत्येक भर्ती केन्द्र में दो चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जाएगी।

(ii) भर्ती चिकित्सा बोर्ड इस अधिसूचना में उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों की चिकित्सा फिटनेस की जांच करेगा।

(iii) चिकित्सीय रूप से 'फिट' अथवा 'अनफिट' पाए गए अभ्यर्थियों को उनके चिकित्सा परिणाम की खुद **चिकित्सा बोर्ड** द्वारा सूचना दी जाएगी ताकि अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति स्पष्ट हो सके।

(iv) जहां चिकित्सा अधिकारी को विशेषज्ञ की राय की जरूरत है तो **संबंधित भर्ती केन्द्र अथवा जीआरईएफ केन्द्र** के निकटवर्ती सैन्य अस्पताल या किसी सर्विस/थल सेना अस्पताल को मामला भेजा

जाएगा। संबंधित विशेषज्ञ के ओ.पी.डी. के दिन के आधार पर, चिकित्सक द्वारा सैन्य अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा के आयोजन और उत्तरवर्ती कार्यविधि के बारे में अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से हिदायत दी जाएगी।

(v) अभ्यर्थियों के 'फिट' अथवा 'अनफिट' के संबंध में चिकित्सा कागजात, चिकित्सा परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात अधिमानत: चिकित्सा परीक्षा वाले दिन ही एमआई रूम द्वारा भर्ती करने वाले अनुभाग/मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम को दे दिए जाएंगे, लेकिन यह परीक्षा की तारीख से 5 दिन के अन्दर दे दिए जाएं।

(vi) सैन्य अस्पतालों अथवा किसी सर्विस/थल सेना अस्पताल को भेजे गए मामलों के बारे में ब्यौरों की चिकित्सा बोर्ड द्वारा भर्ती कर रहे अनुभाग को भी साथ-ही-साथ सूचना दी जाएगी।

(vii) संबंधित विशेषज्ञ द्वारा विधिवत समीक्षा किए गए और चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा लौटाए गए संदर्भित मामलों का रेजीमेंटल चिकित्सा अधिकारी द्वारा विशेषज्ञ की टिप्पणी के अनुसार तत्परतापूर्वक निपटान किया जाएगा और रेजीमेंटल चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस संबंध में भर्ती कर रहे अनुभाग को भी साथ-साथ सूचना भेजी जाएगी।

(viii) **अस्थायी रूप से 'अनफिट'**- अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा।

(क) **चिकित्सा कारणों से अस्थायी रूप से 'अनफिट'** - चिकित्सा कारणों से अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा लिखित रूप से उनकी निर्योग्यता के बारे में सूचना दी जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों के पास भर्ती केन्द्र चिकित्सा बोर्ड द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा के विरूद्ध अपील करने का अधिकार है तथा ऐसी अपील भर्ती केन्द्र के चिकित्सा बोर्ड द्वारा आरम्भ में अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित करने की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर की जानी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को विशेषज्ञ द्वारा चिकित्सा परीक्षा के लिए अपील के साथ 05(पांच) दिन पहले रिपोर्ट करनी चाहिए तथा उन्हें समीक्षा प्रमाणपत्र की दो प्रतियों के साथ निकटतम सैन्य अस्पताल/सर्विस अस्पताल के संबंधित विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पुन: चिकित्सा परीक्षा के लिए शुल्क के रूप में 40/-रूपए जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ऐसे अभ्यर्थियों को समीक्षा के दौरान पुन: 'अनफिट' पाया जाता है तो उन्हें पुन: चिकित्सा परीक्षा का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी। पुन: चिकित्सा परीक्षा के बाद, यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी।

(ख) **शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण अस्थायी रूप से अनफिट**- शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भी चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा लिखित रूप से उनकी निर्योग्यता अथवा कमियों के बारे में सूचना दी जाएगी। शारीरिक मापदंडों का लिखित में विरोध करने वाले अभ्यर्थियों की, यदि जीआरईएफकेन्द्र में चिकित्सा परीक्षा ली जा रही है तो कमाण्डेंट अथवा भर्ती प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति में और यदि यह चिकित्सा परीक्षा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम द्वारा ली जा रही है तो अधिकारी मंडल की उपस्थिति में, चिकित्सा परीक्षा के 24 घंटे के भीतर एक बार दोबारा मापदंड परीक्षा ली जाएगी। केवल वजन अथवा सीने की माप के कारण शारीरिक मापदंडों में कमी के लिए अस्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को वांछित मानक प्राप्त करने के लिए यथोचित समय दिया जाएगा, लेकिन यह अवधि आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से 2 माह से अधिक नहीं होगी । पुन: मापदंड परीक्षा के पश्चात् यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा । जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी।

(ix) **स्थायी रूप से 'अनफिट'** - स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा ।

(क) **चिकित्सा कारणों से स्थायी रूप से 'अनफिट'** - चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किए गए अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड और भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा अधिकारी मंडल द्वारा लिखित रूप से उनकी निर्योग्यता के बारे में सूचना दी जाएगी । ऐसे अभ्यर्थियों के पास, उन्हें स्थायी रूप से अनफिट घोषित करने की 60 दिन की अवधि के भीतर वर्तमान चिकित्सा परीक्षा के विरूद्ध अपील करने का अधिकार है। ऐसे मामले में, अभ्यर्थियों को पुन: चिकित्सा परीक्षा की अपील के साथ जीआरईएफकेन्द्र अथवा भर्ती जोन में 5(पांच) दिन पहले रिपोर्ट करनी चाहिए। चिकित्सा बोर्ड द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को समीक्षा प्रमाणपत्र की दो प्रतियों के साथ निकटतम सर्विस अस्पताल भेजा जाएगा। सर्विस विशेषज्ञ द्वारा पुन: चिकित्सा करने से पूर्व, ऐसे अभ्यर्थियों को भारतीय स्टेट बैंक में स्थित सरकारी खजाने में 40/-रूपए की राशि जमा करने की आवश्यकता होगी। ऐसे सभी मामले, जहां संबंधित विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा करने पर अभ्यर्थियों को दोबारा 'अनफिट' घोषित किया जाता है, उन्हें पुन: चिकित्सा परीक्षा/ समीक्षा के लिए कोई ओर अवसर नहीं दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी। पुन: चिकित्सा परीक्षा के बाद, यदि अभ्यर्थी 'फिट' पाया जाता है तो प्रवेशण की पूरी प्रक्रिया को आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाएगा । जहां आरंभिक चिकित्सा परीक्षा की तारीख से छ: माह की अवधि के भीतर प्रवेशण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है और जहां विलम्ब स्वयं अभ्यर्थी

के कृत्यों के कारण हुआ है तो ऐसी स्थिति में भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: निरस्त हो जाएगी।

(ख) **शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण स्थायी रूप से 'अनफिट'**- जिन अभ्यर्थियों को कद के संबंध में शारीरिक मापदंडों में कमी के कारण स्थायी रूप से 'अनफिट' घोषित किया गया है, उन मामलों में शारीरिक मापन के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती । तथापि शारीरिक मापन का विरोध करने वाले अभ्यर्थियों की भर्ती प्रभारी अधिकारी अथवा कमाण्डेंट, जीआरईएफ केन्द्र अथवा अधिकारी मंडल अथवा मोबाइल क्षेत्रीय भर्ती टीम (एम.आर.आर.टी.), जैसा भी मामला हो, की उपस्थिति में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा उसी दिन एक बार दोबारा मापदंड जांच की जाएगी ।

(x) **दृष्टि संबंधी मापदंड**- दृष्टि संबंधी तीक्ष्णता प्रत्येक आंख की 6/12 अथवा दाहिनी आंख की 6/6 और बांयी आंख की 6/24 से कम नहीं होनी चाहिए। दृष्टि संबंधी जांच के दौरान सुधारक चश्मे का उपयोग करने की अनुमति है। सुधार की गई दृष्टि के मामले में, सहायता रहित दृष्टि प्रत्येक आंख में 6/60 से नीचे नहीं होगी और सुधार करने पर यह वही होगी, जैसा कि अन्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है।

(XI) **शल्य चिकित्सा**- यदि किसी अभ्यर्थी ने हाल ही में उदर- संबंधी शल्य- चिकित्सा कराई है(उदाहरणत: हर्निया, मांसपेशी दोष, नेफ्रोलिथोलॉमी, कॉललिथियासिस, कॉलसिस्टोटॉमी), तो वह मौजूदा नियमों के अनुसार एक वर्ष के लिए 'अनफिट' किए जाने का दायी होगा। तथापि स्थायी रूप से 'अनफिट' मामलों के लिए चिकित्सा अपील करने का उपबंध यथावत है अर्थात 2 माह के भीतर । ऐसे मामलों में उन्हीं मानदंडों का अनुसरण किया जाना चाहिए, जैसा कि उपरोक्त आंख की शल्य चिकित्सा मामलों में किया जाता है।

(ग) **चिकित्सा योग्यता :** इन नियमों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, केवल वे लोग ही जो चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाते हैं वे इन नियमों के प्रावधानों के तहत नियुक्ति के पात्र होंगे ।

(i) सीमा सड़क संगठन पूरे भारत में स्थानांतरण दायित्व सहित एक केंद्रीय सरकारी संगठन है । सीमा सड़क संगठन केंद्रीय सिविल सेवा नियमों द्वारा शासित है। तथापि, सेना अधिनियम-1950 के कतिपय प्रावधान बल के सदस्यों पर भी लागू होते हैं ।

(ii) कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य रिजर्व अभियंता बल केंद्र द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम चयन चिकित्सा योग्याता परीक्षा उत्तीर्ण करने के अध्यधीन होगा । निदेशालय द्वारा गठित विस्तृत मेडिकल बोर्ड कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य रिजर्व अभियंता बल केंद्र द्वारा चयन किए गए अभ्यर्थियों की चिकित्सा योग्यता परीक्षा लेगा ।

(iii) चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय रूप से 'योग्य' घोषित अभ्यर्थियों को अन्य सभी मानदंडों के पूरा करने के अध्यधीन सामान्य रिजर्व अभियंता बल (सी.स.ब) में शामिल किया जाएगा और उन्हें सामान्य रिजर्व अभियंता केंद्र, दीघी शिविर, पुणे-15 में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेना होगा ।

(iv) जीआरईएफ केंद्र में प्रशिक्षण देने के बाद, उन्हें उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार भारत में कहीं भी तैनात किया जाएगा ।

4. **अभ्यर्थिता रद्द करना** : यदि कोई अभ्यर्थी चिकित्सा परीक्षा के लिए रिपोर्ट करने की तिथि पर अनुपस्थित होता है या चिकित्सा परीक्षा के दौरान या निर्धारित समय सीमा के भीतर चिकित्सा समीक्षा के लिए रिपोर्ट नहीं करता है तो उसकी अभ्यर्थिता स्वतः रद्द हो जाएगी। इस संबंध में विभाग द्वारा कोई अभ्यावेदन/ अपील स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. **नियमों में छूट की शक्ति** : जहां केंद्र सरकार का मानना है कि ऐसा करना आवश्यक या उपयुक्त है, तो वह आदेश द्वारा और लिखित में कारणों को दर्ज करके व्यक्तियों को किसी भी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकता है।

6. **व्यावृति:** इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष श्रेणियों की व्यक्तियों के लिए कोई भी किए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छुट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी ।

अनुसूची-I

शारीरिक दक्षता परीक्षा (समूह 'ख' अराजपत्रित पदों के लिए)			
क्रम संख्या	कार्यकलाप	अधिकतम अंक	उपलब्ध समय
1	एक मील की दौड़	केवल परीक्षा पास करनी अनिवार्य है।	10 मिनट
नोट- (i) एक मील की दौड़ निर्धारित समय में पूरी की जानी है । (ii) कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को जीआरईएफ केंद्र, पुणे में आयोजित की जाने वाली एक मील की दौड़ की परीक्षा पास करना अनिवार्य है तत्पश्चात उनकी चिकित्सा परीक्षा की जाएगी ।			

अनुसूची-II

कार्मिकों के क्षेत्र-वार शारीरिक मानक

क्रम सं.	क्षेत्र	राज्य / क्षेत्र सम्मिलित	शारीरिक मानक		
			न्यूनतम ऊंचाई	सीना	न्यूनतम वजन
क	पश्चिमी हिमालय	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र (हिमाचल प्रदेश व पंजाब के मध्य दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र एवं मुकेरियन होशियार पुर की सड़क के उत्तरी एवं पूर्वी क्षेत्र, गढ़शंकर, रोपड़ व चंडीगढ़) , उत्तराखंण्ड	158 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5 किग्रा.
ख	पूर्वी हिमालय क्षेत्र	सिक्किम,नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणीपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र (दार्जिलिंग और कलिंगपोंग जिले तथा अण्डबार निकोबार)	152 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5 किग्रा.
ग	पश्चिम के मैदानी क्षेत्र	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश	162.5 सेमी	न्यूनतम 76 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
घ	पूर्वी मैदानी क्षेत्र	पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल व उड़ीसा और झारखण्ड	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
ड.	मध्य क्षेत्र	गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दादर नगर और हवेली, दमन और दीव तथा छत्तीसगढ़	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.

च	दक्षिणी क्षेत्र	आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गोवा और पुदुचेरी, तेलंगाना	157 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	50 किग्रा.
छ	सेवारत/पूर्व जीआरईएफ कार्मिकों के पुत्रों के लिए छूट		2 सेमी	1 सेमी	2 किग्रा.
ज	डीडी मामलों में छूट (यह अपने स्वयं के पुत्र, दत्तक पुत्र के लिए लागू होगा परंतु किसी अन्य संबंधी के लिए लागू नही होगा)		2 सेमी	1 सेमी	2 किग्रा.
झ	गोरखा (भारतीय निवासी)		152 सेमी	न्यूनतम 75 सेमी (बिना फुलाए) और 5 सेमी का विस्तार	47.5किग्रा.

अनुसूची-III

जीआरईएफ के लिए भर्ती के चिकित्सा मानक

सामान्य

1. प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रर्याप्त रूप से बुद्धिमान एवं स्नायु संबंधी अस्थिरता से मुक्त होना चाहिए और उसका स्वास्थ अच्छा होना चाहिए। उसकी शारीरिक संरचना संबंधी या अधिग्रहित विकलांगता नहीं होनी चाहिए जिससे भर्ती चिकित्सा अधिकारी की राय में उसे कर्तव्यों, विशेषतः ऊचाई पर और कठिन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उसे अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।

सामान्य परीक्षा

2. सभी मामलों में, चिकित्सा परीक्षा के दौरान यह नितांत आवश्यक है कि अभ्यर्थी के सभी वस्त्र उतरवाए जाएं। इस संबंध में गोपनीयता और सभ्यता का ध्यान रखा जाए। आंशिक रूप से वस्त्र उतरवाना ही पर्याप्त नहीं है। गुप्तांगों की परीक्षा किए जाने के समय को छोड़कर अंतःवस्त्र पहनने की अनुमति दी जा सकती है। शरीर के प्रत्येक भाग की परीक्षा की जानी चाहिए और यदि अभ्यर्थी समझाने के बाद भी यह स्वीकार नहीं करता है तो उसे खारिज कर दिया जाएगा। केवल बाजू अर्थात कोहनी से लेकर कलाई तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर स्थाई टैटू अनुमत्य हैं। तथापि अश्लील, अभद्र या अपत्तिजनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता/ अस्वीकार्यता पर उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के अन्य भाग पर टैटू स्वीकार्य नहीं हैं और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

शारीरिक फिटनेस का दायित्व

3. जांचकर्ता चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थियों की शारीरिक फिटनेस, उनके शारीरिक विकास की संभावना और उनके पहचान चिह्न की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड नामांकन प्रपत्र में उन छोटी कमियों को भी दर्ज करेगा जो अभ्यर्थी को खारिज करने के लिए अपर्याप्त हैं। यदि अभ्यर्थी उपयुक्त (फिट) पाया जाता है तो बोर्ड नामांकन प्रपत्र में आवश्यक प्रविष्टि करेगा और नामांकन प्रपत्र में फिट-श्रेणी जीआरईएफ लिखेगा और नामाकंन अधिकारीको लौटा देगा। नामांकन प्रपत्र पर चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर इस घोषणा पत्र के रूप में स्वीकार किए जाएंगे कि उसने मौजूदा निर्देशों के अनुसार उक्त अभ्यर्थी की व्यक्तिगत रूप से जांच की है और जो दोष उसने नामांकन प्रपत्र में नोट किए हैं, अभ्यर्थी में उन दोषों को छोड़कर अन्य कोई दोष नहीं हैं।

मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईएफ/मेड/2A

4. यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि सैनिक की सेवा निवृत्ति के पश्चात निशक्तता पेंशन के दावों से जुड़ा हुआ है। चिकित्सा बोर्ड जीआरईएफ/मेड/2A की सारणी संख्या 1 में दी गई चिकित्सा मदों को पूरा करेगा। जीआरईएफ/मेड/2A अधिसूचना की अनुसूची-III के अनुबंध-1 में दिया गया है।

5. इन दस्तावेजों को तैयार करने और उनका रख-रखाव करने में संबंधित अधिकारियों द्वारा विफल रहने और उनमें प्रविष्टिओं की गलती या अपर्याप्तता होने से अत्यधिक देरी हो सकती है जिससे भर्ती का खर्च बढ़ेगा और भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के साथ गम्भीर अन्याय होगा । अतः चिकित्सा अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए कि परीक्षा के दौरान सभी आवश्यक प्रविष्टियां ध्यानपूर्वक और सटीकता से की गई हैं

6. व्यक्ति की भविष्य में पहचान किए जाने हेतु इस प्रयोजनार्थ दिए गए स्थान में पहचान चिन्ह और छोटी कमियों को संक्षिप्त रूप से और स्पष्टतः नोट किया जाना चाहिए। किसी भी ऐसी कमियों पर सदैव विशेष ध्यान देना चाहिए जो भविष्य में पेंशन के संभावित दावों पर निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं।

जीआरईएफ में अभ्यर्थियों की चिकित्सीय निरीक्षण को अभिशासित करने वाले नियम

अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंदु

7. अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के मुख्य बिंदु । अभ्यर्थियों के निरीक्षण में ध्यान दिए जाने वाले मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:-

क. कि अभ्यर्थी पर्याप्त रूप से बुद्धिमान है (इस संबंध में किसी भी कमी पर परीक्षण के दौरान ध्यान दिया जाए)

ख. कि उसका शारीरिक गठन ठीक है और उसे कान, नाक और गले का कोई रोग नहीं है।

ग. कि उसकी दोनों आंखों की दृष्टि अपेक्षित मानकों के अनुरूप है, उसकी आंखें चमकदार, साफ हैं और उनमें कोई भेंगापन, नाइस्टेगेमस या कोई अपसामान्यता नहीं है। आंखों की पुतलियों को सभी दिशाओं में पूर्ण और मुक्त रूप से घूमना चाहिए।

घ. कि वह बिना किसी रूकावट के बात-चीत कर सकता है।

ङ. कि वह ग्रंथियों की सूज़न से पीड़ित नहीं है।

च. कि उसका सीना सुगठित है और कि उसका ह्दय और फेफड़े स्वस्थ हैं।

छ. कि उसके अंग सुगठित और सुविकसित हैं।

ज. कि उसके सभी जोड़ मुक्त रूप से अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं।

झ. कि उसके पैर और पैरों की अंगुलियां सुसंरचित हैं।

ञ. कि उसके कोई जन्मजात विकृति या दोष नहीं है।

ट. कि उसके किसी पिछली पुरानी बीमारी के ऐसे कोई लक्षण नहीं हैं जो किसी शारीरिक विकृति को इंगित करते हों।

ठ. कि उसके पर्याप्त संख्या में स्वस्थ दांत हैं और वह सक्षमता से चबा सकता है।

ड. कि उसको जननांग/मूत्र-मार्ग संबंधी कोई रोग नहीं है।

स्थाई रूप से अयोग्य घोषित करने के आधार

8. निम्नलिखित में से किसी भी दशा को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य करार दिया जाएगाः-

क. सामान्य रूप से विकलांग शारीरिक संरचना एवं दुर्बलता (18 से कम बीएमआई)

ख. असामान्य चाल

ग. असामान्य अंग-विन्यास (काईपोसिस, सोलियोसिस या लार्डोसिस)

घ. सीने की समग्र रूप से शारीरिक विरूपता (पिजन चेस्ट, बैरल के आकार का सीना, पैक्टस ऐक्सकेवेटम, हैरिसन सल्कस एवं जोड़ (मुड़ी हुई टांगे, मुड़े हुए घुटने, मुड़े हुए पैर ,सपाट पैर)

ङ. दोषपूर्ण बुद्धिलब्धि

च. बधिरता

छ. हकलाना

ज. मानसिक एवं तंत्रिका संबंधी अस्थिरता जिसमें कपकपीं तथा हथेली एवं तलुओं में अत्यधिक पसीना आता है (पल्स रेट 100/मिनट से अधिक)

झ. यौन संचारित रोग

ञ. किसी भी स्तर का भैंगापन अथवा पुतलियों का असामान्य रूप से घूमना

ट. वर्णांधता के मामले

ठ. व्यक्ति की दोनों आंखों की सामान्य दृष्टि को प्रभावित करने वाला कार्नियल ओपेसिटिस

ड. कान के पर्दे में छेद

ढ. कानों से पीप बहने का दीर्घकालिक रोग/मध्यकर्ण शोध/कर्णमूल शोथिका

ण. दांतों का उस हद तक टूटना या सड़ना कि ठीक से चबाने में बाधा उत्पन्न होती हो। 14 से कम दांत

त. फेफड़ों का दीर्घकालिक संक्रमण

थ. अंतःस्त्रावी विकार

द. हृदय की अपसामान्य ध्वनि या उच्च रक्त चाप (रक्त चाप >140/95mm Hg)

ध. अधिक स्तर का अल्प दृष्टि दोष और अपवर्तक दोष को सुधारने के लिए कॉर्नियल सर्जरी के मामले

न. प्रत्यारोपण से ठीक किया गया फ्रैक्चर या फ्रैक्चर से प्रभावित जोड़ों का अस्थिसमेकन

प. कोई अंग विच्छेदन जिससे व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित होती हो

फ. केवल बाजू अर्थात कोहनी से लेकर कलाई तक, भीतर की ओर तथा हथेली के पीछे की ओर / हाथ के पृष्ठ भाग पर स्थाई टैटू अनुमत्य हैं। तथापि अश्लील, अभद्र या अपत्ति जनक टैटू के मामले में, टैटू की स्वीकार्यता/ अस्वीकार्यता पर उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में उप-महानिदेशक (कार्मिक) / जीआरईएफ केंद्र के कमांडेंट का निर्णय अंतिम होगा। शरीर के अन्य भाग पर टैटू स्वीकार्य नहीं है और ऐसे मामलों में अभ्यर्थी की आगे जांच नहीं की जाएगी।

अस्थाई रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के लिए आधार

9. अस्थाई रूप से अयोग्य (अनफिट) घोषित करने के निम्नलिखित आधार है:-

क. प्टेरिजियम

ख. नेत्र शोध

ग. दोष पूर्ण दृष्टि (चश्मे से ठीक करने पर दोनों आंखों की 6/6 स्वीकार्य होगी)

घ. ट्रैकोमा ग्रेड-III

ङ. विपथित नासिका झिल्ली

च. गलसुओ की दीर्घ कालिक सूजन

छ. कुछेक दांतों में सड़न (डैंच्योर से ठीक करने पर स्वीकार्य है)

ज. पिट्रीएसिस वेर्सिकॉलर

झ. टीनियाक्रोसिस, खुजली, एग्जिमा आदि

ञ. प्लैंटर मस्से

ट. हाइड्रोसिल, हर्निया, वेरीकोसील

ठ. वेरीकोस वेंस

ड. फिमोसिस, गुदा में फिसर या व्रण, बवासीर

ढ. श्वसन नली में अत्यधिक संक्रमण

ण. गाइनेकोमस्टिया

त. रक्त क्षीणता

थ. हैपेटोस्प्लीनोमैगाली

द. 30 से ऊपर वीएमआई (तीन महीने के भीतर वीएमआई 30 से नीचे लाए जाने पर स्वीकार्य होगा)

छोटी कमियों वाले अभ्यर्थियों की स्वीकार्यता

10. निम्नलिखित दशाओं को परिलक्षित करने वाले अभ्यर्थियों को स्वीकार किया जा सकता है:-

क. थोड़े सपाट पैर परंतु पैरों की अंगुलियां लचीली और सुगठित हों।

ख. थोड़े मुड़े हुए घुटने (इंटर मेलोलिक दूरी 5 सेमी.)

ग. थोड़े मुड़ी टांगे (इंटर कोंडाइलर दूरी 7 सेमी.)

घ. सेफेना वेरिक्स का कम स्तर

ड. वेरीकोसिली का कम स्तर या अनडिसेंडेड वृषण (इंगुइनल क्षेत्र में स्थिर नहीं)

च. कानों के पर्दे में छेद जिसका उपचार कराकर ठीक कर लिया गया है।

छ. बिना किसी विकार के उपचारित ट्रैकोमा

ज. थोड़ा हकलाना

झ. हाइपरहाइड्रोसिस का कम स्तर

ञ. फिमोसिस/हाइड्रोसिस का कम स्तर

ट. कानों में छिद्र जिसका उपचार करके बंद कर दिया गया हो और जिसका स्वस्थ दाग रह गया हो (टाइम्पेनोप्लास्टी की जा चुकी हो।)

ठ. टांगों की थोड़ी वक्रता

ड. पैरों की अंगुलियों का कम स्तर का हैमर

ढ. वेरीसिस का कम स्तर

ण. टिनिआ वेर्सिकोलर

त. विपथित नासिका झिल्ली (उपचार के बाद स्वीकार्य)

थ. ऐसा कोई अन्य विकार जो भर्ती चिकित्सा अधिकारी की राय में अभ्यर्थी की कार्य-क्षमता को भविष्य में प्रभावित न करता हो बशर्ते कि अभ्यर्थी सभी संदर्भो में निर्धारित मानकों को पूरा करता हो। यदि कोई विकार कम स्तर का हो तो उसे दस्तावेज में दर्ज किया जाए।

अभ्यर्थी से इस बात का भी वचन-पत्र लिया जाए कि मिर्गी, कुष्ठ, मधुमेह तपेदिक या एचआईवी संक्रमण से संबंधित उसका कोई पूर्व इतिहास नहीं है। पूर्व के उपचारित ऑपरेशनों को मेडिकल केस शीट में नोट किया जाएगा।

उपर्युक्त छूट केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को अनुमत्य है जो मापों के निर्धारित मानक पूरा करते हों।

किसी अनफिट होने के मामले में उच्चतर समीक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्राप्त करने के लिए समय सीमा

11. (क) **स्थाई रूप से अयोग्य** घोषित किए जाने के सभी मामलों की उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाए और अयोग्य घोषित किए जाने के समय से एक महीने की अवधि के भीतर उसे अयोग्य/योग्य घोषित किया जाना चाहिए।

(ख) उच्चतर चिकित्सा अधिकारी द्वारा **अस्थाई रूप से अयोग्य** घोषित किए जाने के सभी मामलों की**,** अयोग्य घोषित किए जाने के समय से तीन महीने (90 दिन) के भीतर उसे योग्य/अयोग्य घोषित करने के लिए समीक्षा की जाए।

12. ऐसे सभी मामलों में जिनमें अभ्यर्थी किसी अल्प दोष से पीड़ित हो और उसे स्वीकार किया जाता है, चिकित्सा बोर्ड स्वयं को पूर्ण रूप से संतुष्ट करेगा कि उक्त दोष किसी भी तरह बी.आर.ओ में अधीनस्थ के रूप में कार्य करने में अभ्यर्थी की कार्य क्षमता को प्रभावित नहीं करेगा।

13. जहां पैरा 10 में उल्लिखित छोटी कमियों के अभ्यर्थी को स्वीकार किया जाता है, वह कमी अनिवार्य रूप से मेडिकल हिस्ट्री शीट जीआरईफ/मेड/2 ए में नोट किया जाए।

14. साधारण प्रकृति की मामूली स्वास्थ्य समस्याओं, जैसे-साधारण घावों, जूतों के काटने, सामान्य सर्दी-खांसी और इसी तरह की अन्य छोटी-मोटी बीमारियों जोकि प्राय: कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती हैं, से पीड़ित लोगों को स्वीकार किया जा सकता है। इस तरह की भर्ती को स्वीकार करने से पहले मेडिकल बोर्ड खुद को पूरी तरह संतुष्ट करेगा कि अंतरंग (इनडोर) उपचार के बिना रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो सकता है। सामान्यत:, जब तक अभ्यर्थी के लिए कुछेक अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती है, जोकि आसानी से पूरी नहीं की जा सकती हैं, उसे सलाह दी जानी चाहिए कि वह खुद का इलाज करवाए और फिर से आए। यदि ऐसे अभ्यर्थी को स्वीकार किया जाता है, जोकि किसी भी प्रकृति के मामूली रोग से पीड़ित है, तो मेडिकल

हिस्ट्री शीट जीआरईएफ/मेड/2ए में रोग से संबंधित कोई भी प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है।

15. अपेक्षित चिकित्सीय मानकों को पूरा नहीं करने के कारण अस्वीकृति के सभी मामलों में मेडिकल बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

***